रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/2001 REGISTERED No. DL—33001/2001

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 3, 2001 (फाल्गुन 12, 1922)
No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 3, 2001 (PHALGUNA 12, 1922)

CENTRAL GOVERNMENT LIBRARY

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

		पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1	(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिवत नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	235
भाग I—खण्ड 2	(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	191
भाग I—खण्ड 3	रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असंविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	3
भाग I—खण्ड 4	रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	187
भाग II	—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II	—खण्ड 1 क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II	—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के विवरण तथा रिपोर्ट	*
भाग II	—खण्ड 3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II	—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II	—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II	—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III	—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	90
भाग III	—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से संबन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	125
भाग III	—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन प्रशासन द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	
भाग III	—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1463
भाग IV	—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	
भाग V	—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों की बताने वाला सम्पूरक	*

* आंकड़े प्राप्त नहीं हुए ।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	235
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	191
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	3
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	187
PART II—SECTION Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—Sub-section (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—Sub-section (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—Sub-Sec. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	907
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	125
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1463
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	35
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सांविधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 फरवरी, 2001

सं० 16-प्रेज/2001—राष्ट्रपति, बिहार पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री आनन्दि पासवान ,
सहायक उप निरीक्षक,
बिहार।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

2-6-1998 को श्री अब्दुल गनी मीर, एस० डी० पी० ओ० के नेतृत्व में, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की दो प्लाटूनों सहित एक पुलिस पार्टी को जहानाबाद में उग्रवादियों के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए तैनात किया गया। वहां पहुंचने पर पुलिस पार्टी ने क्षेत्र की घेराबन्दी कर ली। उग्रवादी एक मकान में छिपे हुए थे। पुलिस देखने पर कुछ उग्रवादियों ने, मकान का मुख्य दरवाजा खोलकर पश्चिम दिशा की ओर भागना शुरू कर दिया और कुछ अन्य ने पुलिस पार्टी पर गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस पार्टी द्वारा इसका जवाब दिया गया। इस मुठभेड़ में, श्री ए० पासवान, सहायक उप निरीक्षक ने प्रमुख भूमिका निभाई जिसके परिणामस्वरूप दो उग्रवादी मारे गए। इसी बीच, सर्व/श्री राम यश सिंह, पुलिस अधीक्षक, आर० रंजन सिंह, उप-पुलिस अधीक्षक, शिव लगन रविदास, निरीक्षक बड़ी कुमुक के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। उसके बाद, श्री राम यश सिंह के नेतृत्व वाली पुलिस पार्टी ने उग्रवादियों पर हथगोले और अश्रुगैस के गोले फेंके। उग्रवादी भी पुलिस पार्टी पर गोलीबारी करते रहे। दोनों तरफ से हो रही गोलीबारी में, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के सर्व/श्री द्वारिका राम, सहायक उप निरीक्षक, रजीत कुमार सिंह, कान्सटेबल और लांस नायक उमा शंकर सिंह गोली लगने से जख्मी हो गए। एक अवसर लेते हुए, श्री अब्दुल गनी मीर, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के उप कमान्डेन्ट श्री रमा शंकर राय और श्री राजेश शरण, उप निरीक्षक के साथ उग्रवादियों के छिपने के स्थान के अन्दर घुसे। पुलिस को छिपने के स्थान के अन्दर प्रवेश करते देख, उग्रवादियों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए भागना शुरू कर दिया। उग्रवादी जब भाग रहे थे तो उनकी मुठभेड़ दूसरी पुलिस पार्टी से हुई। यह मुठभेड़ लगभग आधा घंटे तक चली जिसमें सार्जेंट मेजर राजेन्द्र कुमार चौधरी, उप निरीक्षक, अखिलेन्द्र कुमार सिंह, मुनी लाल राना, उप निरीक्षक और उप निरीक्षक संजय कुमार पांडे ने 5 उग्रवादियों को मारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उपर्युक्त मुठभेड़ में 19 कट्टर उग्रवादी मारे गए और मुठभेड़ के स्थान से बड़ी मात्रा में शस्त्र गोलाबारूद और अन्य अभिगसी सामग्री तथा एक एम० एल० आर०-7 62, एक कारबाईन 9 एम० एम०, दो राइफले, तीन राइफले .303, दो राइफले .315, एक डी० बी० बी० एल० गन, एक देशी पिस्तौल के अलावा बड़ी मात्रा में कारतूस, विस्फोटक सामग्री और नक्सलवादी साहित्य बरामद हुआ। सर्व/श्री रमा शंकर राय, उप कमांडेट, ओंकार सिंह, लान्सनायक और अजित कुमार सिंह, कान्सटेबल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को उपर्युक्त घटना में की गई कार्रवाई के लिए पहले ही वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान किया जा चुका है।

इस मुठभेड़ में, श्री आनन्दि पासवान, सहायक उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 2 जून, 1998 से दिया जाएगा।

वरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 17-प्रेज 2001—राष्ट्रपति, बिहार पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम और रैंक

श्री शिव पूजन सिंह,
निरीक्षक।

श्री मुन्द्रिका प्रसाद,
उप-निरीक्षक।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया :

10-12-1999 को लगभग 21.15 बजे अपराह्न में निरीक्षक शिव पूजन सिंह को सूचना मिली कि प्रतिबन्धित अतिवादी पीपुल्स वार गुट का सशस्त्र दस्ता जलपुरा क्षेत्र में जनसंहार करने की योजना बना रहा है। इस पर, श्री सिंह ने, उप निरीक्षक मुन्द्रिका प्रसाद, राम भज्जू दयाल, दिलू लोहार, संजय कुमार झा, लाल बहादुर राम, कान्सेटबल सुरेन्द्र मिश्रा, प्रदीप प्रसाद और बृजेश कुमार झा को शामिल करके एक छापामार पार्टी संगठित की। घटनास्थल पर पहुंचने पर, पुलिस बड़ी सावधानी से पैदल, सोन नदी के किनारे की तरफ बढ़ी। लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, उग्रवादियों ने पुलिस पार्टी पर अचानक गोलिया चलाईं। पुलिस पार्टी ने मोर्चा संभाला और उग्रवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। उग्रवादियों ने नारे लगाने शुरू किए और पुलिस पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। पुलिस ने भी इसका जवाब दिया। उग्रवादियों द्वारा की गई गोलीबारी से सर्व/श्री पूजन सिंह निरीक्षक और मुन्द्रिका प्रसाद, उप निरीक्षक जख्मी हो गए। जख्मी होने के बावजूद, इन पुलिस कार्मिकों ने अन्य के साथ, उग्रवादियों पर गोलियां चलाते हुए उनका पीछा करना जारी रखा। उग्रवादियों ने वापस भागना शुरू किया और अंधेरे का फायदा उठाकर बच कर भाग निकले। बाद में घटनास्थल से, एक उग्रवादी का शव मिला जिसकी शिनाख्त विश्वनाथ यादव उर्फ पी० पी० उर्फ प्रताप जी, कुख्यात प्रतिबन्धित उग्रवादी संगठन पीपुल्स वार के स्वयंभू क्षेत्रीय कमान्डर के रूप में की गई। क्षेत्र की तलाशी के दौरान, एक देशी राइफल, एक देशी भरी हुई पिस्तौल, विन्दोलिया के साथ .315 बोर के 14 सक्रिय कारतूस, .303 बोर के 3 सक्रिय कारतूस, 12 बोर के 2 खाली कारतूस और .315 बोर के 5 खाली कारतूस भी बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री शिव पूजन सिंह, निरीक्षक और मुन्द्रिका प्रसाद उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 10 दिसम्बर, 1999 से दिया जाएगा।

अरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप उसचिव

सं० 18-प्रेज 2001—राष्ट्रपति, हरियाणा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम और रैंक

(दिवंगत) श्री अशोक कुमार,
कान्सटेबल,
सोनीपत।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

6-11-1999 को 4.30 बजे अपराह्न में कच्चे बघाटर्स मार्किट, अशोक नगर, सोनीपत में आग लग गई। यह आग बहुत तेजी के साथ फैल गई और इस बाजार की 14 दुकानें जलकर राख हो गईं। दुकानदार दुकानों के अन्दर फंस गए, जिसके परिणामस्वरूप 48 की मृत्यु हो गई और 10 जख्मी हो गए। श्री सुरेन्द्र सिंह, हैड कांसटेबल जो मोबाइल पी०सी० आर० पर थे और श्री अशोक कुमार, कांसटेबल जो उस समय इस मार्किट में मोटर साईकल गश्त पर थे, ने अन्य जनता की मदद से बचाव अभियान का नेतृत्व किया और अनेक अमूल्य जानें बचाईं। बचाव अभियान के दौरान श्री सिंह का दम घुट गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। बचाव अभियान में श्री अशोक कुमार जल गए और उनका शव अन्य के साथ, दुकानों के मलबे से निकाला गया।

इस बचाव कार्य में (दिवंगत) श्री अशोक कुमार, कान्सटेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 6 नवम्बर, 1999 से दिया जाएगा।

अरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 19-प्रेज/2001—राष्ट्रपति, जम्मू तथा कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक बार/पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :—

अधिकारियों के नाम और रैंक

1. श्री जगतार सिंह, निरीक्षक,
   (वीरता के लिए पुलिस पदक का बार),
2. श्री दीदार सिंह, सहायक उप निरीक्षक,
3. श्री मो० शफी वार, सहायक उप निरीक्षक,
4. चन्द्र पाल, कांस्टेबल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया :

1 मई, 99 को यह विशिष्ट सूचना मिली कि गैर कानूनी हथियारों से लैस हिजबुल मुजाहिद्दीन के खुंखार आतंकवादियों का एक ग्रुप मो० मकबूल वाती के निवास, उसमानिया कालोनी शकरपोरा श्रीनगर में एक बैठक करने की योजना बना रहा है। पुलिस अधीक्षक (प्रचालन) श्रीनगर की देख-रेख में, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों के साथ पुलिस पार्टी ने उस क्षेत्र में, तत्काल बाहरी घेरा डाल दिया। घर के इर्द-गिर्द अन्दरूनी घेरा डालते समय, उग्रवादियों ने तथाकथित घर के अन्दर से एस० ओ०जी० पार्टी पर अंधा-धुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दीं। निरीक्षक जगतार सिंह, सहायक उप निरीक्षक दीदार सिंह, सहायक उप निरीक्षक मो० शफी दार और कान्सटेबल चन्द्रपाल

के साथ, घर के संवासियों को बाहर निकालने और उग्रवादियों को छिपने के स्थान से खदेड़ने के लिए स्वेच्छा से आगे आए। उन्होंने घर पर धावा बोला और उग्रवादियों द्वारा की जा रही भारी गोलीबारी में भूतल पर कूदे और वहां से संवासियों को सुरक्षित बाहर निकाला। उग्रवादियों ने घर के दूसरे तल पर मोर्चा सम्भाला और पार्टी पर भारी गोलीबारी की, जिसके परिणामस्वरूप भीषण मुठभेड़ हुई। उग्रवादियों ने ऊपरी मंजिल से ग्रेनेड फेंके, जिससे निरीक्षक जगतार जख्मी हो गए। जख्मी होने के बावजूद, वे आगे बढ़े और एक दीवार की आड़ में मोर्चा सम्भाला और श्रीनगर निवासी खूंखार उग्रवादी शौकत अहमद काजी कोड शाहनी, हिजबुल मुजाहिद्दीन गुट के चीफ, को मारने में सफल हुए। मुठभेड़ के स्थान से 01 ए० के० राइफल, 03 ए०के० मैगजीन, 04 ए०के० राउन्ड, 01 ग्रेनेड ट्रोफर कप और 2 वायरलैस सेट बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री जगतार सिंह, निरीक्षक, दीदार सिंह, सहायक उप निरीक्षक, मो० शफी डार, सहायक उप निरीक्षक और कांस्टेबल चन्द्रपाल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 1 मई, 1999 से दिया जाएगा।

वरुण मित्रा,
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 20-प्रेज/2001—राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :—

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री लाल सिंह कुशवाह,,
कान्सटेबल, मध्य प्रदेश।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया :

18 सितम्बर, 1999 को जब 15 विचारणधीन कैदियो को उपचार और चिकित्सा जांच के लिए केन्द्रीय जेल से माधव डिसपेन्सरी ग्वालियर ले जाया जा रहा था तो घातक हथियारों से लैस बदमाश वाहन पर चढ़ गए और एक विचारणधीन कैदी, श्री जितेन्द्र उर्फ टिकू की तरफ आगे बढ़े। इस अचानक हमले से, मार्गरक्षी पुलिस गार्ड और डिसपेन्सरी में मरीजों की भीड़ के बीच आतंक फैल गया। बदमाशों ने श्री लाल सिंह कुशवाह, कास्टेबल को, अपनी राइफल लोड करते देख लिया और उनमे से एक ने इन पर हमला कर दिया। इसके परिणामस्वरूप श्री कुशवाह जख्मी हो गए और अपने जख्मों की परवाह न करते हुए इन्होंने बदमाशों पर गोलिया चलाई। इसी बीच, दूसरे बदमाशों ने अपने लक्ष्य श्री जितेन्द्र पर हमला कर दिया। तीसरे बदमाश ने श्री कुशवाह पर गोली चलाई लेकिन ये बाल-बाल बचे। पकड़े जाने की आशंका से, बदमाश भाग गए। श्री कुशवाह ने विचारणाधीन, जितेन्द्र को उसके साथी, राम किशोर के सुपुर्द किया और स्वयं अपराधियों का पीछा किया। उनमें से एक को उन्होंने हाथापाई में दबोच लिया। तथापि, उनमें से दो, घने रिहायशी क्षेत्र का लाभ उठाकर भागने में कामयाब हो गए। दबोचे गए अपराधी से एक कट्टा और एक सक्रिय राऊन्ड बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में, श्री लाल सिंह कुशवाह, कान्सटेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18 सितम्बर, 1999 से दिया जाएगा।

वरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 21-प्रेज/2001—राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है—

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री
सुरेन्द्र कुमार पाण्डे,
पुलिस अधीक्षक, मध्य प्रदेश।
मदन मोहन मिश्रा,
एस० डी० पी० ओ०, मध्य प्रदेश।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

7-7-99 को एम० सी० सी० के नक्सलवादियों की उपस्थिति के बारे में सूचना प्राप्त होने के बाद, श्री सुरेन्द्र कुमार पांडे, पुलिस अधीक्षक, तुरन्त घने जोबा जंगल की तरफ गए। जंगलों में दो दिन तक गहन तलाशी करने के बाद, पुलिस तलाशी दल को नक्सलवादी दिखाई दिए और श्री पांडे, एस० डी० पी० ओ०, रामानुजगंज, श्री एम० एम० मिश्रा, एस० डी० पो० ओ० सूरजपुर, श्री मनोज सिंह, अन्य अधिकारियो और बल के साथ तत्काल उनकी ओर गए। नक्सलवादियों ने पुलिस पार्टी पर भारी गोलीबारी की। श्री पांडे ने अपनी एस० एल० आर० से गोली चलाकर तत्काल नक्सलवादियों का जवाब दिया और अपनी पार्टी को भी नक्सलवादियों पर गोली-बारी करने का आदेश दिया। लगभग 90 मिनट तक दोनों तरफ से भारी गोलीबारी होती रही। श्री पांडे अपने मोर्चे से बाहर आए और नक्सलवादियों पर सीधा हमला करने के लिए आगे बढ़े। उन पर दुश्मन ने भारी गोलीबारी की लेकिन इन्होंने नक्सलवादियों पर सामने से हमला जारी रखा जिसके परिणामस्वरूप, नक्सलवादी नेता को गोली लगी और वह घटनास्थल पर ही मारा गया। उसके बाद नक्सलवादियों ने जंगल की तरफ भागना शुरू कर दिया। श्री पांडे ने अपनी पार्टी के साथ भाग रहे नक्सलवादियों का

पीछा किया और जैसे ही वे उग्रवादियों की पोजिशन की तरफ बढ़ रहे थे, तो उनके दाहिने हाथ पर एक नक्सलवादी की गोली लगी। इन्होंने देखा कि कुछ नक्सलवादी बिनिया की तरफ भाग रहे हैं और उन्होंने तत्काल वायरलैस पर एस० डी० पी० ओ० श्री मिश्रा को सावधान किया। श्री मिश्रा ने तत्काल प्रत्युत्तर दिया और आगे हुई गोलीबारी में श्री मिश्रा ने एक और खूंखार नक्सलवादी को मार गिराया। नक्सलवादियों से निम्नलिखित शस्त्र, गोलाबारूद बरामद किया गया:—

1. राइफल .315	1 नग
2. राइफल .12 बोर	2 नग
3. देशी .303	1 नग
4. .315 के सक्रिय राउन्ड	12 नग
5. .303 के सक्रिय राउन्ड	12 नग
6. .12 बोर के सक्रिय कारतूस	13 नग
7. .303 के खाली राउन्ड	18 नग
8. .315 के खाली राउन्ड	12 नग
9. .12 बोर के खाली राउन्ड	15 नग
10. नक्सलवादी साहित्य लाल चिंगारी पुस्तक	1 नग
11. नक्सलवादी इश्तहार	35 नग
12. कैनवास बेल्ट	4 नग
13. कैनवास बुलैट बेल्ट	4 नग
14. कोपीज	5 नग
15. मिलिट्री रंग की मंकी कैप	3 नग
16. लाल तौलिया	6 नग
17. मिलट्री रंग की वर्दी	3 कमीजें और 2 पैंट

18. रोजमर्रा की उपभोज्य वस्तुओं के साथ 4710 रु० नगद।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री सुरेन्द्र कुमार पांडे, पुलिस अधीक्षक और मदन मोहन मिश्रा, एस० डी० पी० ओ० ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 7 जुलाई, 1999 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा,
राष्ट्रपति के उप सचिव

सं० 22-प्रेज/2001—राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक को सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम और रैंक

(दिवंगत) श्री दिनेश कुमार मिश्रा,
कान्सटेबल, मध्य प्रदेश।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

श्री जमुना सुपुत्र सुवर्शन यादव, निवासी कौनहारी, एस० के० एफ० पोस्ट कौनहारी के गार्ड कमान्डर, जिन्हें पुलिस स्टेशन नरौंधा के दूर-दराज क्षेत्र में ए० डी० के पद पर तैनात किया गया था, से 5-6 सशस्त्र अपराधियों/डकैतों द्वारा सिरसा डायमंड माइन्स, सिरसा के ठेकेदारों और मजदूरों की पिटाई करने के बारे में सूचना मिलने पर, ए० पी० सी० दल बहादुर गुरंग, श्री शिव प्रताप सिंह, हैड-कान्सटेबल, सर्वश्री राम खिलावन कोरी और दिनेश कुमार मिश्रा, दोनों कान्सटेबल के साथ 23-5-1999 को उक्त स्थान को गए। श्री मिश्रा और श्री रामखिलावन ने अपराधियों का पीछा किया और चन्दा माइन की तरफ गए। कान्सटेबल, दल बहादुर और कान्सटेबल शिव कुमार सिंह की पहाड़ी और घने जंगली क्षेत्र में अपराधियों से मुठभेड़ हुई। चन्दा माइन पर कान्सटेबल मिश्रा और रामखिलावन पर अपराधियों द्वारा गोलीबारी की गई। श्री मिश्रा को गोली लगने से अनेक गंभीर जख्म हो गए और उनसे अत्यधिक खून बहने लगा। तथापि, दोनों कान्सटेबलों ने अपराधियों का पीछा किया जो वन क्षेत्र में गायब हो गए। जख्मों के कारण श्री मिश्रा की मृत्यु हो गई। घटनास्थल से अपराधियों के द्वारा छोड़ी गई एक देशी .315 बोर राइफल और 30 बोर के 6 सक्रिय राउन्ड और कुछ खाली कारतूस बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) श्री दिनेश कुमार मिश्रा, कान्सटेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फल-स्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 23 मई, 1999 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा,
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 23-प्रेज 2001—राष्ट्रपति, महाराष्ट्र पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री डी० जगन्नाथ अदसुल,
हैड-कान्सटेबल, महाराष्ट्र।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

7-1-1999 को खूखार अपराधी और उसके साथियो की एक व्यापारी को गोली से उड़ा देने की योजना के बारे में सूचना प्राप्त होने पर श्री डी० पी० अवद, सहायक पुलिस आयुक्त, द्वारा श्री डी० जगन्ननाथ अदसुल, हैड कान्सटेबल सहित 10 अन्य पुलिस कार्मिकों को साथ लेकर एक जाल बिछाया गया। 8 जनवरी, 1999 को पहचान किए गए स्थान पर पहुंचने पर पुलिस पार्टी ने देखा कि दो व्यक्ति 0740 बजे, आटोरिक्शा से नीचे उतर रहे हैं। सर्व श्री अनिल गोलवाले, उप निरीक्षक और एस० पाटिल, दोनों पुलिस कार्मिकों ने अपने अन्य साथियों को इशारा किया जिन्होंने अभियुक्त व्यक्तियों को दबोचने की कोशिश की। इस पर, अपराधियों ने अपनी पिस्तौलें निकाली और पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पुलिस पार्टी ने जवाबी कार्रवाई की। अपराधियों द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी के कारण श्री अदसुल के पेट में गोली लगी। जख्मी होने के बावजूद, श्री अदसुल, अपराधियों पर लगातार गोलियां चलाते रहे। श्री अदसुल सहित पुलिस पार्टी द्वारा की गई गोलीबारी के कारण अपराधी जख्मी हो गया और वहीं गिर पड़ा। उसे तुरन्त दबोच लिया गया और उससे 6 खाली कारतूसों सहित 38 बोर आयातित रिवाल्वर बरामद की गई। तथापि, अपराधियों के साथी, बगीचे की बाड़ को फांद कर भाग निकले।

इस मुठभेड़ में, श्री डी० जगन्नाथ अदसुल, हैड कान्सटेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 8 जनवरी, 1999 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा,
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 24-प्रेज 2001—राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री ए० थोम्बा सिंह,
उप निरीक्षक, मणिपुर।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

11-12-1999 को लगभग 5.00 बजे अपराह्न में एक सशस्त्र पुलिस पार्टी जिसमे इम्फाल पश्चिमी जिले के 4 पुलिस कार्मिक और उप निरीक्षक ए० थोम्बा सिंह थे, खोवाथोंग पुलिस पिकेट पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तो दो युवक-एक 9 एम० एम० पिस्तौल से लैस और दूसरा चीन निर्मित हथगोले से लैस, पुलिस पार्टी की ओर बढ़े और उनसे शस्त्र और गोला-बारूद छीनने की कोशिश की। 9 एम० एम० पिस्तौल से लैस युवक, जिसकी शिनाख्त बाद में निंगम सिंह के रूप में की गई, सीधे थोम्बा सिंह के पास आया और अधिकारी से अपना सर्विस रिवाल्वर और वायरलेस सेट उसके सुपुर्द करने के लिए कहा। अधिकारी धमकी के आगे नहीं झुका। युवक ने, इस अधिकारी को मारने की मंशा से अपना पिस्तौल निकालने की कोशिश की लेकिन श्री थोम्बा सिंह ने तुरन्त बदमाश को दबोच लिया, जो भूमि पर गिर पड़ा। पुलिस अधिकारी ने उस युवक से भरा हुआ पिस्तौल छीन लिया। चीन निर्मित हथगोले से लैस दूसरे युवक, जिसकी शिनाख्त बाद में अथोकपम प्रेम कुमार सिंह के रूप में की गई, ने लड़ाई में भाग लेकर अपने साथी की मदद करने की कोशिश की। इस नाजुक मौके पर, पिकेट में तैनात 4 अन्य पुलिस कार्मिक नामत: (1) मो० जियाउद्दीन मिया, कान्सटेबल (2) श्री ओकरम लोलन सिंह (3) श्री इबोमचा सिंह और (4) श्री सी० पैशो लगबुल जो सभी, गोलाबारूद के साथ राइफलों से लैस थे, अपने कमान्डर थोम्बा सिंह के बचाव के लिए दौड़े। इन्होंने, हथगोला पकड़े हुए युवक को दबोच लिया। दूसरा व्यक्ति नामत: निंगम सिंह भीड़-भाड़ वाले शहर और अन्धेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। इस प्रकार से श्री अथोकपम प्रेम कुमार सिंह को चीन निर्मित हथगोले और 9 एम० एम० पिस्तौल के साथ पकड़ लिया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त नामत: ए० प्रेम कुमार सिंह ने बताया कि वह के० सी० पी० का सक्रिय सदस्य है, जिसने कुछ समय पहले खोवाथोंग पुलिस पिकेट से शस्त्र, गोलाबारूद और वायरलैस सेट छीने थे।

इस मुठभेड़ में, श्री श्री ए० थोम्बा सिंह, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 11 दिसम्बर, 1999 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा,
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 25-प्रेज 2001—राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम और रैंक

(दिवंगत) श्री छानामचम सानातोम्बा सिंह,
कांस्टेबल, मणिपुर।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

7 जनवरी, 2000 को लगभग 6.50 बजे अपराह्न में मोंगाखाग माम्बी में शस्त्रों से लैस अज्ञात युवकों द्वारा एक वृद्ध व्यक्ति की हत्या के बारे में सूचना मिलने पर, उस क्षेत्र से, गुजरने वाले व्यक्तियों और वाहनों की तलाशी लेने के लिए

वरिष्ठ अधिकारियों के गहन पर्यवेक्षण में पुलिस पार्टियां तैनात की गई। इनमें से पुलिस अधीक्षक, उखरुल पश्चिम की मार्ग-रक्षी पार्टी को लेकर बनाई गई एक पुलिस टीम, ने तलाशी लेते हुए एक स्कूटर पर सवार दो व्यक्तियों को आते देखा। श्री छानामबम साना तोम्बा सिंह, कान्सटेबल ने उन्हे जांच के लिए रुकने हेतु कहने पर, इनमें से एक युवक ने पुलिस पार्टी पर गोलीबारी की, जिससे श्री सिंह जख्मी हो गए। जख्मी होने के बावजूद श्री साना तोम्बा सिंह ने अपनी सर्विस ए० के०-47 राइफल से उग्रवादियों पर गोलिया चलाई और उनमें से एक को मार गिराया, जिसकी पहचान बाद में खुरामजाम मंगोलजाबों सिंह उर्फ सान्ता उर्फ मंगोल उर्फ नुनगसी उर्फ मौरम्बा उर्फ सुरेन पुत्र गोपाल सिंह, ईराम सिफै मांमांग लेईकाई निवासी, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के स्वयंभू सार्जेन्ट मेजर और डिवीजन सं० 4 के कमान्डर के रूप में की गई। यह देखने पर दूसरे उग्रवादी भाग गए। लेकिन श्री सिंह गम्भीर रूप से जख्मी होने के बावजूद अपने अन्य पुलिस कार्मिकों के साथ भाग रहे उग्रवादियों का पीछा करते रहे। तथापि, वे पीछा करना जारी नहीं रख सके और जमीन पर गिर पड़े और उग्रवादी अन्धेरे की आड़ में भागने में कामयाब हो गए। श्री साना तोम्बा सिंह को तुरन्त अस्पताल ले जाया गया लेकिन जख्मी हो जाने के कारण उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटनास्थल से, 11 सक्रिय राउन्ड से भरी एक 9 एम० एम० पिस्तौल, एक वायरलेस सैट, 9 एम० एम० गोली बारूद के 24 सक्रिय राऊन्ड और एक स्कूटर बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में, स्वर्गीय श्री छानामबम साना तोम्बा सिंह, कान्सटेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 7 जनवरी, 2000 से दिया जाएगा।

वरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 26-प्रेस/2001—राष्ट्रपति, नागालैंड पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं —

अधिकारियों का नाम और रैंक

श्री नेयबा न्यूमै
उप-अधीक्षक पुलिस,
(मुख्य मंत्री के पी० एस० ओ०)

(दिवंगत) सर्वश्री
खेंगा रेंगमा
लांस नायक
(दिवंगत) लीमासुनेप ए० ओ०,
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

29-11-99 को 05 15 बजे के लगभग, नागालैंड के मुख्य मंत्री जब दीमापुर से कोहिमा जा रहे थे तो उन पर दीमापुर के कोहिमा की ओर 44 किलो मीटर के पत्थर के समीप एन० एस० सी० एन० (आई० एम०) के तत्वों द्वारा घात लगाकर हमला किया गया। हमलावरों ने 14 शक्तिशाली विस्फोट किए। इन विस्फोटों ने उसी दिशा में जा रहे एक ट्रक को पटक दिया और विशिष्ट व्यक्तियों की अतिरिक्त कार को कुचल दिया। मुख्य मंत्री की कार और अन्य वाहनों को भी क्षति पहुंची। श्री नेयबा न्यूमै उप-अधीक्षक पुलिस तथा मुख्य मंत्री के पी० एस० ओ० ने तुरन्त कार के दरवाजों को तोड़कर खोल दिया और मुख्य मंत्री को उसमे बाहर खीचकर अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसी दौरान, खेंगा रेंगमा, लांस नायक और श्री लीमासुनेप ए० ओ० कांस्टेबल सहित अन्य मार्ग रक्षी कार्मिकों ने आक्रमणकर्ताओं पर गोलीबारी आरम्भ कर दी और मुख्य मंत्री को कवरिंग फायर प्रदान किया। श्री न्यूमै ने एक गढ़े से दूसरे गढ़े की ओर ले जाते हुए मुख्य मंत्री को अपने शरीर की ढाल प्रदान की। श्री न्यूमै ने अपनी सुरक्षा की तनिक भी परवाह न करते हुए पोजिशन संभाली और आक्रमणकर्त्ताओं पर गोलीबारी करके मुख्य मंत्री को आड़ प्रदान करते हुए अन्ततः उन्हे पायलट गाड़ी तक सुरक्षित ले जाने में सफल रहे और उन्हें वहां से निकाल कर असम राईफल्स कैम्प तक पहुंचा दिया। सर्व/श्री खेंगा रेंगमा और लीमासुनेप ए० ओ० ने आक्रमणकर्त्ताओं पर जवाबी गोलीबारी और मुख्य मंत्री और उनके मार्गरक्षी कर्मियों को कवरिंग फायर जारी रखी और तब तक उनका मुकाबला करते रहे जब तक कि आक्रमणकारियों द्वारा उन्हे अंततः दबोच कर नजदीक से गोली मार कर मार नहीं दिया गया।

इस मुठभेड़ मे, श्री नेयबा न्यूमै उप-अधीक्षक पुलिस, (दिवंगत) सर्वश्री खेंगा रेंगमा, लास नायक और लीमासुनेप ए० ओ०, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 29 नवम्बर, 1999 से दिया जाएगा।

वरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 27-प्रेस/2001—राष्ट्रपति, त्रिपुरा पुलिस के निम्न-लिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक

(दिवंगत) श्री कृष्ण कुमार सिन्हा
राइफलमैन

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया.

10 जुलाई, 1999 को 1110 बजे श्री कृष्ण कुमार सिन्हा, राइफलमैन सहित 10 पुलिस कार्मिकों की एक आर० ओ० पी० मोबाइल पार्टी, चावल के एक सिविल ट्रक और 12/15 सिविलियनों के साथ जलनबाड़ी से चली। जब यह मोबाइल आर० ओ० पी० कानवाई टेकुमबाड़ी गाव के पास जलनबाड़ी के समीप पहुची तो कानवाई की जीप के सामने अचानक एक सुरंग से विस्फोट हुआ। श्री के० के० सिन्हा, राइफलमैन, जो कि तीसरी जीप में सवार थे, ने तुरन्त उसमे छलाग लगाई और उग्रवादियो का मुकाबला करने के लिए गोलीबारी करने लगे। इस पर, 5 अन्य राइफलमैन ने पोजिशन ले ली और प्रथम जीप की ओर 10 गज के लगभग दक्षिण–पश्चिम दिशा की ओर बढ़ना शुरू किया। इसी दौरान, तीसरी जीप पर भी घात लगाई गई और उग्रवादियों ने पुलिस दल पर गोलीबारी भी शुरू कर दी। पुलिस दल ने इसका प्रति उत्तर दिया। गोलीबारी जारी रखते हुए श्री सिन्हा उग्रवादियों को काबू करने के लिए उनकी ओर आगे बढ़े। परस्पर गोलीबारी में श्री सिन्हा गंभीर रूप से घायल हो गए लेकिन उन्होने गोलीबारी जारी रखी और खाली मैगजीन की जगह भरी हुई मैगजीन को फिट किया। उग्रवादियों ने पुलिस दल पर ग्रेनेड फेंके जिससे चार पुलिस कर्मी घटनास्थल पर ही मारे गए। उग्रवादियों की इस कार्रवाई से श्री सिन्हा उग्र और क्रुद्ध हो गए और अपनी बेहोशी की अवस्था के बावजूद, भी उग्रवादियों पर गोलीबारी करते रहे। अन्ततः उग्रवादियों की गोलीबारी और ग्रेनेड के विस्फोट से वे मारे गए।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) श्री कृष्ण कुमार सिन्हा, राइफलमैन ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, राष्ट्रपति की पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 10 जुलाई, 1999 से दिया जाएगा।

वरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 28-प्रेज/2001—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :—

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री अपूर्व कुमार विस्वास,
कांस्टेबल,
सीमा सुरक्षा बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया :

17 अक्तूबर, 1999 को 0630 बजे के लगभग, एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ उग्रवादी गांव बटपुरा में घुस आए है। 110वीं बटालियन के द्वितीय कमान अधिकारी की कमान के अन्तर्गत एक दल ने उस गाव को तीन ओर से घेर लिया और एक-एक करके घरों की तलाशी लेनी शुरू की। जब यह दल एक मकान के समीप पहुंचा तो उसके सभी संवासी जल्दी से बाहर निकल आए और भागने लगे। जब और जैसे ही इस दल ने अन्दर जाने के लिए मकान के गेट को खोला तो संवासियों द्वारा पुलिस दल पर गोलीबारी की गई। श्री अपूर्व विस्वास, कांस्टेबल अपने साथियों सहित सामने को ओर से घर की दीवार की ओर दौड़े और अन्दर गोलियों की एक बौछार की। इससे दो उग्रवादी भाग कर मकान से बाहर आ गए और एक शौचालय में घुस गए और उसे अन्दर से बन्द कर दिया तथा घेरा दल पर गोलीबारी जारी रखी। तथापि, श्री विस्वास पेड़ों के पीछे से शौचालय के समीप पहुंचने में सफल हो गए और कवरिंग फायर के अन्तर्गत आगे बढ़ते हुए इन्होंने एक ग्रेनेड फेंका जो शौचालय में जाकर फटा और उसके पश्चात् गोलीबारी थम गई। श्री विस्वास ने दरवाजा खोला और अन्दर दो उग्रवादी मृत पाए गए जिनकी शिनाख्त बाद में अलबदर गुट के मुस्ताक-ए-हुसैन और अबु जेहाद के रूप में की गई। घटनास्थल से दो ए० के० राइफलें और भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ मे श्री अपूर्व कुमार विस्वास, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 17 अक्तूबर, 1999 से दिया जाएगा।

वरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 29-प्रेज/2001—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री अमल बैनर्जी,
कांस्टेबल, 55वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया :

29/30 दिसम्बर, 1999 की रात्रि को पि० एल० ए० से संबधित 25–30 उग्रवादियों के एक दल ने चुपके से खुदेनथोहाबी पोस्ट को घेर लिया और एम० एम० जी० के साथ भारी मात्रा में गोलीबारी शुरू कर दी तथा

सीमा चौकी, जहां श्री अमल बैनर्जी, कांस्टेबल सन्तरी ड्यूटी पर थे, पर 2 इन्च मार्टर बम्ब भी दागे। श्री बैनर्जी ने इसका प्रतिकार किया। जब तक श्री बैनर्जी को कुमुक उपलब्ध कराई जाती उन्होंने अपनी एल० एम० जी० से चारापार में गोलीबारी करते हुए उग्रवादियों को आगे बढ़ने से रोके रखा। तथापि, छिटकती हुई एक गोली उनके सिर पर आकर लगी। जख्मों के बावजूद, कुमुक पहुंचने और जब तक वे इनकी एल० एम० जी० का संभाल नही लेते इन्होंने गोलीबारी जारी रखी। क्षेत्र की तलाशी लेने पर 02 केनवुड ट्रांसरिसिवर, टेलीस्कोप एंटीने, 01 फ्लैश हाईडर, 02 मोलोटिव कॉकटेल चार्जर और भारी मात्रा में ए० के० श्रृंखला की राइफल का जीवित गोलाबारूद और 2 इंच मार्टर बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में, श्री अमल बैनर्जी, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 29 दिसम्बर, 1999 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 30-प्रेज/2001—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री अब्दुल मजीद,
कांस्टेबल, 30वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया :

21 दिसम्बर, 1999 को गांव यकमानपुर मे एक मकान मे उग्रवादियो की उपस्थिति के बारे में सूचना प्राप्त होने पर, सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियों द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाने की योजना बनाई गई। मकान का घेराव करने और पोजीशन लेने के पश्चात् टुकड़ियो ने लक्ष्य-मकान पर गोली चलाई। उग्रवादियो ने पुलिस की गोलीबारी का कोई उत्तर नही दिया। गतिरोध सारी रात बना रहा। अगली सुबह दो धावा दल बनाए गए। जब प्रथम दल ने मकान के अन्दर प्रवेश किया तो उग्रवादियो में से एक, जो भूसी नाम के ढेर के पीछे छिपा हुआ था, ने नजदीक से गोली चलाई जिससे श्री राजाराम राम, हैड कांस्टेबल घायल हो गया, जिसने बाद में घावो के कारण दम तोड़ दिया। धावा दल पीछे हटा और बिल्डिंग के एक हिस्से को गिरा दिया। उग्रवादियो ने बिल्डिंग के दूसरे हिस्से से गोलीबारी जारी रखी। इसके पश्चात् एक और धमाका किया गया और समस्त बिल्डिंग नष्ट हो गई। श्री प्रदीप कुमार, कांस्टेबल जो मलबा हटाने के लिए आगे बढ़ा था, अचानक मकान में छिपे दो उग्रवादियो की गोलीबारी मे घिर गया। प्रतिउत्तर मे उसने भी गोली चलाई जिससे छत के मलबे के नीचे छिपा हुआ उग्रवादी मारा गया। शव को बाहर निकाला गया। अन्य उग्रवादी, जो कि मलबे मे फंस गया था, ने श्री अब्दुल मजीद, कांस्टेबल पर गोली चलाई। श्री मजीद ने मलबे के बीच मे जगह देखकर, एक ग्रेनेड निकाला और उसे मलबे के बीच मे फैंक दिया और उस स्थान से लुढ़क कर दूर हट गए। विस्फोट के कारण, मलबे में छिपा हुआ उग्रवादी मारा गया। घटनास्थल से निम्नलिखित हथियार/गोला बारूद बरामद किया गया

(क) ए० के० सीरीज राइफल	03 नग	(एक क्षतिग्रस्त)
(ख) ए० के० सीरीज मैगजीन	11 नग	(तीन क्षतिग्रस्त)
(ग) ए० के० गोला-बारूद (जीवित)	201 नग	
(घ) चीनी पिस्तौल	01 नग	
(ङ) पिस्तौल मैगजीन	02 नग	
(च) पिस्तौल का गोलाबारूद	12 नग	
(छ) सहायक उपकरणो सहित वायरलैस सेट	02 नग	
(ज) हथ गोले	03 नग	
(झ) पाउच (कैनवस)	03 नग	

इस मुठभेड़ में, श्री अब्दुल मजीद, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 22 दिसम्बर, 1999 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 3-प्रेज 2001—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियो को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :—

अधिकारियो का नाम और रैंक

श्री बी० एस० पी० डोबरियाल,
सूबेदार,
(दिवगत) श्री प्रदीप सिंह,
कांस्टेबल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया :

15/16 जनवरी, 2000 के बीच की रात को जिजबल क्षेत्र के ऊंचे स्थानों पर उग्रवादियों की उपस्थिति के बारे में टाक मुख्यालय में सूचना प्राप्त हुई। सीमा सुरक्षा बल की 34वीं बटालियन की एक कम्पनी को उस क्षेत्र की घेराबन्दी करने के लिए भेजा गया। टुकड़ी को दो भागों में विभाजित किया गया और छिपने के संदिग्ध स्थान को घेर लिया गया। इससे पहले कि घेरे को और छोटा किया जाता, उग्रवादियों ने सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों पर गोली-बारी शुरू कर दी। उबड़-खाबड़ भू-भाग का लाभ उठाते हुए, उग्रवादियों ने घेराबन्दी की खाली जगहों में से निकल भागना शुरू कर दिया और ऊंची चढ़ाई पर चढ़ने लगे। श्री बी० एस० पी० डोबरियाल, सूबेदार ने टुकड़ियों का नियंत्रण संभाला और उग्रवादियों का पीछा किया। श्री प्रदीप सिंह, कान्स्टेबल, जो एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे, कवरिंग फायर की आड़ में पेड़ों और शिलाखण्डों के पीछे छिपते हुए, भागते हुए उग्रवादियों का पीछा करने के लिए आगे दौड़े। श्री सिंह ने गोली चलाई और एक उग्रवादी को घायल कर दिया लेकिन इस कार्रवाई में ऊंचाई से गोलियां चला रहे उग्रवादी श्री सिंह को जख्मी करने में सफल हो गए, जिनकी जख्मों के कारण मृत्यु हो गई। श्री डोबरियाल गोलीबारी की आड़ में जख्मी उग्रवादी के समीप पहुंचने में सफल हो गए और उसे मार गिराया। तथापि, उनके भी दायें पैर में एक गोली लगी। मारे गए उग्रवादियों की शिनाख्त बाद में एच० एम०—पी० टी० एम० से संबंधित नाजी अहमद शेख और मुदस्सर-उल-हक के रूप में की गई। घटनास्थल से दो ए० के० राइफलें, देश में निर्मित एक एस० बी० बी० एल०, मैगजीन और गोलाबारूद बरामद हुआ।

इस मुठभेड़ में, श्री बी० एस० पी० डोबरियाल, सूबेदार और (दिवंगत) श्री प्रदीप सिंह, कान्स्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 16 जनवरी, 2000 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा,
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 32-प्रेज 2001—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक

(दिवंगत) श्री जे० एस० पठानिया,
सहायक कमाण्डेन्ट,

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया :

14-2-2000 को पादशाही बाग में एक इंजीनियर के घर में लश्कर-ए-तोइबा के प्रमुख की मौजूदगी के बारे में एक गुप्त सूचना मिलने पर सर्व श्री जे० एस० पठानिया और तेजिन्दर सिंह, सहायक कमाण्डेंट ने अबु ताला को पकड़ने के लिए उस क्षेत्र की घेराबन्दी की। श्री पठानिया ने अपनी क्विक रिएक्शन टीम के साथ बड़ी सावधानी के साथ उक्त मकान के भूतल और प्रथम तल की तलाशी ली। उनके प्रथम दौर की तलाशी के दौरान, श्री पठानिया और उनका दल उस उग्रवादी को नहीं खोज सका। अपने सूत्र से पुनः सम्पर्क साधने के बाद, श्री पठानिया ने अपनी क्विक रिएक्शन टीम के साथ उस मकान के प्रथम तल में पुनः प्रवेश किया। अबु ताला जो नीची चारपाई के नीचे छिपा हुआ था, एक दम खड़ा हुआ और अपनी पिस्तौल से श्री पठानिया पर गोली चला कर उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया। जख्मी हो जाने के बावजूद, श्री पठानिया उस उग्रवादी पर गोली चलाने में सफल हो गए। क्विक रिएक्शन टीम के अन्दर आने तक श्री पठानिया और उग्रवादी दोनों जख्मों के कारण मर चुके थे। तलाशी के दौरान मृत उग्रवादी से मैगजीन सहित एक 9 एम एम पिस्तौल और कुछ राउन्ड बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) श्री जे० एस० पठानिया ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 14 फरवरी, 2000 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा,
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 33-प्रेज 2001—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री ए० एस० गंगवार,
सहायक कमाण्डेन्ट,
चौथी बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया :

26 अक्तूबर, 1999 को यह सूचना प्राप्त होने पर कि पुलवामा पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत गांव कंगन के कुछ मकानों में हिज्जबुल मुजाहिद्दीन उग्रवादियों ने कुछ बाहरी व्यक्तियों के साथ शरण ली हुई है, श्री जी० एस० चौधरी, स्थानापन्न कमाण्डेन्ट, सीमा सुरक्षा बल ने गांव की घेराबन्दी करने और संदिग्ध मकानों की तलाशी लेने की योजना बनाई। श्री ए० एस० गंगवार, सहायक कमाण्डेन्ट और निरीक्षक जयपाल

यादव की कमान में सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियों ने संदिग्ध गांव की घेराबंदी की। श्री जी० एम० चौधरी स्थानापन्न कमाण्डेन्ट ने विभिन्न दिशाओं से गांव में पहुंचने के लिए अपनी टुकड़ी को विभाजित किया। गांव की घेराबन्दी करने के पश्चात् दलों को मकानों की तलाशी लेने के लिए भेजा गया। श्री ए० एस० गंगवार, सहायक कमाण्डेन्ट के नेतृत्व में एक दल सावधानी के साथ एक संदिग्ध मकान के भूतल में प्रवेश पाने में सफल हो गया और इसके पश्चात् उस मकान के प्रथम तल की ओर बढ़ा। एक उग्रवादी, जोकि लैंडिंग प्लेस के ठीक ऊपर छिपा हुआ था ने सीढ़ियों में नीचे की ओर गोलियां चलाई जोकि श्री गंगवार को लगी और उनकी ए के राइफल भी क्षतिग्रस्त हो गई। श्री गंगवार ने पीछे को छलांग लगाई और उग्रवादी पर गोली चलाई जिससे वह जख्मी हो गया और कुछ देर में ही मर गया। पुलिस दल ने भूतल पर विभिन्न कमरों में पोजिशन ली और उन पर प्रथम तल से गोलीबारी होती रही। श्री जी० एम० चौधरी ने तत्पश्चात् अपनी टुकड़ियों को साथ के मकानों में तैनात किया और पड़ोस के मकानों से भारी मात्रा में गोलीबारी की गई। गोलीबारी की आड़ में वे एच० सी०/आर० ओ० राजेश कुमार और हैड कांस्टेबल एस० एन० राय को भेज कर कांस्टेबल साजी कुमार और कांस्टेबल गुरुपाल सिंह जो लक्ष्य मकान के भूतल में फसे हुए थे, को निकालने में सफल रहे। ग्रेनेडों के विस्फोट से पर्दों और लिनन ने आग पकड़ ली और रसोई घर में रखा एक गैस सिलैण्डर भी फट गया जिसके परिणामस्वरूप आगे मकान के प्रथम तल पर आग लग गई। दो उग्रवादी जिन्हें खिड़की से देख लिया गया था सीमा सुरक्षा बल पार्टी की गोलीबारी से मारे गए। मकान से 3 ए के राइफलें—दो आंशिक रूप से जली हुई तथा एक जिसमें ग्रेनेड लान्चर लगा हुआ था, 5 ए० के०-56 राइफल मैगजीन, 1 पिस्तौल और दो पिस्तौल मैगजीन बरामद हुई।

इस मुठभेड़ में, श्री ए० एस० गंगवार, सहायक कमाण्डेन्ट ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत के स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 26 अक्तूबर, 1999 से दिया जाएगा।

वरुण मिश्रा,
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 34-प्रेज/2001—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री अजीत सिंह,
लांस नायक, 107वी बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

29 जनवरी, 2000 को श्री ओ० एस० ओझा, उप-कमाण्डेन्ट को सूचना मिली कि हिजबुल-मुजाहिद्दीन का एक वांछित उग्रवादी मंजूर अहमद नजर कर्ण नगर से गुजरेगा। तदनुसार एक विशेष योजना बनाई गई। 2130 बजे के लगभग घात लगाने वाले दल ने एक संदिग्ध व्यक्ति को बाईसिकल पर कर्ण नगर की ओर आते देखा। घात दल ने उसे रूकने के लिए कहा लेकिन वह पीछे मुड़ा और बचने की कोशिश करने लगा। संदिग्ध व्यक्ति को भागते हुए देख कर, लांस नायक (ड्राइवर) अजीत सिंह ने उसका पीछा किया। उग्रवादी ने अपनी पिस्तौल निकाल ली और पीछा कर रहे सीमा सुरक्षा बल कर्मी पर गोलीबारी शुरू कर दी। श्री अजीत सिंह ने उग्रवादी को पीछे से पकड़ लिया और दोनों जमीन पर गिर गए। उग्रवादी ने संघर्ष किया और अपने को छुड़ा लिया तथा श्री अजीत सिंह पर पुनः गोली चलाई। अन्य कोई विकल्प न देख कर श्री अजीत सिंह ने उग्रवादी पर गोली चलाई और उसे मार दिया। मृत उग्रवादी से एक चीन निर्मित पिस्तौल, एक चीनी पिस्तौल मैगजीन, एक राउण्ड पिस्तौल का जीवित गोला-बारूद, पिस्तौल के खाली खोल-3 राउण्ड, एक चीनी ग्रेनेड, एक बाईसिकल, एक नकली पहचान पत्र और खाली एक के-47 राउण्ड-4 नग बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में, श्री अजीत सिंह, लांस नायक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 29 जनवरी, 2000 से दिया जाएगा।

वरुण मिश्रा,
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 35-प्रेज/2001—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम और रैंक

(दिवंगत) श्री चन्द्र शेखर के बी,
कांस्टेबल, 124वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया :

5 जनवरी, 2000 को 0100 बजे के लगभग अफसर मैस में अपनी सन्तरी ड्यूटी समाप्त करने के पश्चात् जब कांस्टेबल श्री चन्द्र शेखर अपने रिहायशी बंकर की ओर लौट रहे थे तो उन्हें सूखे नाले में कुछ संदिग्ध गतिविधियों की आवाजें सुनाई पड़ी। उन्होंने तुरन्त पोजिशन ली और नाले की ओर गोली चलाई। उग्रवादियों का एक ग्रुप वहां छिपा हुआ था और

सम्भवतः जिला पुलिस लाईन्स कैम्प पर हमला बोलने के उद्देश्य से लुक-छिप कर नाले के माध्यम से जा रहा था। श्री चन्द्रशेखर ने जहां से गोली चलाई थी वहां समुचित आड़ नहीं थी। अतः उग्रवादियों द्वारा जवाबी गोलीबारी में गोली लगने से वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जख्मों के बावजूद श्री चन्द्रशेखर ने गोलीबारी जारी रखी। आवाज सुनने पर, अन्य सन्तरी घटनास्थल की ओर दौड़े और जवाब में गोलियां चलाईं। उग्रवादी वहां से पीछे हट गए चूंकि पुलिस मैस जहां वरिष्ठ अधिकारी रह रहे थे, पर हमला करने की उनकी योजना विफल हो गई थी। श्री चन्द्रशेखर के शरीर से अत्यधिक खून बह रहा था। उन्होंने जख्मों के कारण उस समय दम तोड़ दिया जब उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) श्री चन्द्र शेखर के बी, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 5 जनवरी 2000 से दिया जाएगा।

वरुण मित्रा,
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 36-प्रेस/2001—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री तेजिन्दर सिंह,
सहायक कमांडेंट,
22वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया :

11 मार्च, 2000 को, परीमपोरा, श्रीनगर की फलों की मंडी के क्षेत्र में कुछ उग्रवादियों की उपस्थिति के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। श्री तेजिन्दर सिंह, सहायक कमांडेंट की कमान में एक दल ने इस क्षेत्र की घेराबंदी की और लक्ष्य घर की पहचान की। उस घर की विभिन्न दिशाओं पर तैनात की गई तीनों एम० एम० जी० से भारी मात्रा में गोलाबारी करने के पश्चात्, श्री सिंह ने अपने दल को उस घर की ओर ले गए जहां उन्होंने उस घर की खिड़की में एक उग्रवादी को ग्रेनेड फेंकते हुए देखा लेकिन पुलिस दल ने लेट कर स्वयं को घायल होने से बचा लिया। श्री तेजिन्दर सिंह ने दरवाजे को ठोकर मार कर खोला और निरंतर गोलीबारी करते रहे। इससे पहले कि उग्रवादी कुछ कर सके, श्री सिंह ने उसे मार गिराया। बाद में मृत उग्रवादी की शिनाख्त हिजबुल मजाहिद्दीन के शौकत अहमद खान उर्फ नन खोर, कंपनी कमांडर के रूप में की गई। उस कमरे में एक ए० के० राइफल, दो मैगजीन, दो ग्रेनेड, 28 राउंड एम और 22 ई० एफ० सी० बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री तेजिन्दर सिंह, सहायक कमांडेंट ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 11 मार्च, 2000 से दिया जाएगा।

वरुण मित्रा,
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 37-प्रेस/2001—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम और रैंक

(दिवंगत) श्री दीनानाथ ठाकुर—(वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)
सूबेदार, 34वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

श्री मोहन सिंह— (वीरता के लिए पुलिस पदक)
कांस्टेबल, 34वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया :

9 अप्रैल, 2000 को जब सूबेदार, दीना नाथ ठाकुर गश्त ड्यूटी पर थे, तब उन्हें यह सूचना प्राप्त हुई कि कि कुछ उग्रवादी गांव सर में एक घर में आए हुए थे। श्री ठाकुर ने तत्काल गश्त कर रहे अपने आदमियों को इस बारे में सूचित किया और गांव सर की तरफ रवाना हो गए। उन्होंने कुमुक भेजने के लिए बटालियन मुख्यालय को भी सूचित कर दिया। श्री ठाकुर ने कुमुक की प्रतीक्षा किए बिना उस घर को विभिन्न दिशाओं से घेरने के लिए अपने छोटे से गश्ती दल को तीन ग्रुपों में विभाजित किया। श्री ठाकुर ने श्री मोहन सिंह, कांस्टेबल और एक सिविलियन को साथ लेकर उस लक्ष्य-घर में प्रवेश किया और विभिन्न दिशा में पोजीशन ले ली। चूंकि दरवाजे को ठोकर मार कर खोला गया था इसलिए अंदर से गोलियों की एक बौछार हुई जो श्री ठाकुर और उस सिविलियन को लगी। सिविलियन, घटनास्थल पर ही मारा गया। श्री ठाकुर हालांकि गंभीर रूप से घायल हो गए थे, फिर भी उन्होंने दिवार की आड़ लेते हुए दरवाजे से एक ग्रेनेड फेंका और फिर अपनी ए० के० राइफल से गोलीबारी करते हुए धावा बोल दिया। इससे पहले कि घर के अंदर से हुई गोलियों

की दूसरी बौछार श्री ठाकुर की जान ले ले, वे उस एक मात्र उग्रवादी को मारने में कामयाब हो गए। मारे गए उग्रवादी से एक ए० के० राइफल, कुछ गोला-बारूद और एक हथगोला बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) श्री दीना नाथ ठाकुर, सूबेदार और श्री मोहन सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 9 अप्रैल, 2000 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 38-प्रेज/2001—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का बार/पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम और रैंक

(वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)

(दिवंगत) श्री मोहर सिंह
सूबेदार, 32वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

श्री एन० के० गांगुली,
कांस्टेबल, (ड्राइवर) 32वी बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया :

12 फरवरी, 2000 को, 32वी बटालियन सीमा सुरक्षा बल के 4 वाहनों की एक कॉनवॉई मतपेटियों और मतदान कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी के लिए मैकोन से सुगनू ले जा रही थी। उग्रवादियो ने पहाड़ की तरफ से कॉनवॉई पर घात लगा कर हमला किया। सूबेदार मोहर सिंह ने तुरन्त कॉनवॉई को चलते रहने के निदेश दिए। कांस्टेबल/ड्राइवर एन० के० गांगुली की बांई जांघ पर गोली लगी। अटकाए जाने के बावजूद उन्होंने वाहन चलाना जारी रखा और कॉनवॉई का नेतृत्व करते रहे और कॉनवॉई को घात क्षेत्र से बाहर ले आए। श्री सिंह ने फिर अपने कॉनवॉई को रोक दिया और पोजीशन लेने के पश्चात् उग्रवादियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। श्री सिंह जब एक आड़ से दूसरी आड़ की तरफ बढ़ रहे थे तो वे जरा सा सामने आ गए और एक गोली उनके सिर पर आ लगी जिससे घटना-स्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई।

इस मुठभेड़ में (दिवंगत) श्री मोहर सिंह, सूबेदार और श्री एन० के० गांगुली कॉस्टेबल (ड्राइवर) ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 12 फरवरी, 2000 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 39-प्रेज/2001—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री रामपाल सिंह,
कांस्टेबल, 132वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया :

30 जनवरी, 2000 को गुडा में निरीक्षक ए० एस० नेगी स्थानापन्न कम्पनी कमाडर को सूचना मिली कि 3 उग्रवादियों ने बकरवालों के एक घर में शरण ले रखी है। श्री नेगी ने तत्काल उप-निरीक्षक, आर० एस० नेगी और आर० पी० साहा समेत एक दल लिया और उस घर की ओर चल पड़े। इसी बीच, उग्रवादी उस घर को छोड़ कर केरी जंगल के अन्दर चले गए। श्री नेगी ने अपनी कम्पनी को 3 टुकड़ियों में विभाजित किया, एक टुकड़ी अपनी कमान में, एक उप निरीक्षक आर० एस० नेगी के अन्तर्गत और एक अन्य उप निरीक्षक आर० पी० साहा के अन्तर्गत तथा तीन विभिन्न दिशाओं से केरी जगल की तरफ बढ़े। उग्रवादियों ने शिलाखण्डों के पीछे शरण लेते हुए एक नाले से आगे बढ़ते सीमा सुरक्षा बल के दल पर एक ग्रेनेड दागा। कास्टेबल रामपाल, जो कि दायीं तरफ से आ रहे थे जख्मी हो गए। ये अपनी टुकड़ी के साथ आगे बढ़ते रहे तथा उग्रवादियों ने शिलाखण्डों के पीछे से हटना शुरू कर दिया और जगल की ओर बढ़ने लगे। कास्टेबल रामपाल ने जख्मी होने के बावजूद एक ग्रेनेड फेंका, जो फट गया तथा उग्रवादियों में से एक घायल हो गया। जख्मी उग्रवादी बचने का प्रयास करते हुए उप निरीक्षक आर० एस० नेगी द्वारा की गई गोलियों की दो बौछारों से मारा गया। निरीक्षक ए० एस० नेगी और उसकी टुकड़ी ने बायीं तरफ से दूसरे नाले से बढ़ते हुए तत्काल गोलाबारी की और उग्रवादियों में से एक को घटना-स्थल पर ही मार गिराया। इसी बीच तीसरा उग्रवादी बचने में कामयाब हो गया। उस क्षेत्र की तलाशी लेने पर, उस जगह से 01 यू एम जी, 02 असाल्ट के-47 राइफल 02 ग्रेनेड लांचर, 05 हथगोले, 05 लैंडिंग ग्रेनेड्स, 01 पिस्तौल और 01 वायरलैस सेट बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में श्री रामपाल सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 30 नवंबर, 2000 से दिया जाएगा।

वरुण मित्रा,
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 40-प्रेज/2001—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम और रैंक

(दिवंगत) श्री शमशेर सिंह,
सहायक कमांडेंट, 104 वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया :

2 मई 2000 को एस ओ जी पुलवामा से गांव दांगरपोरा में हिजबुल मुजाहिदीन के कुछ उग्रवादियों की उपस्थिति के बारे में एक विशिष्ट सूचना प्राप्त हुई थी। सीमा सुरक्षा बल की 104वीं बटालियन के कमांडेंट श्री आर० एल० शर्मा अपने दल को तीन टुकड़ियों में विभाजित करने के पश्चात् उस गांव की घेराबंदी करने के लिए उस क्षेत्र की ओर रवाना हुए। लक्ष्य घर सामंत घरों के समूह के चारों ओर घेराबंदी की गई। जब घेराबंदी की जा रही थी तो उग्रवादियों ने इस दल पर गोलीबारी शुरू कर दी। श्री शमशेर सिंह, सहायक कमांडेंट ने लक्ष्य घर के चारों ओर स्थित सिविलियनों के घरों को खाली करवाया और उनमें अपने आदमियों से कब्जा करवा लिया। उन्होंने खिड़कियों को कवर करने के लिए उक्त घर के सामने अपनी एल एम जी के साथ पोजिशन ले ली और अंतत: कवर तोड़ कर घर के अंदर धावा बोलने के लिए भारी गोलीबारी की। एक उग्रवादी द्वारा की गई गोलियों की बौछार उनके पेट में लगी। घायल होने के बावजूद उन्होंने जवाबी गोलीबारी की और उस उग्रवादी को मार गिराया जो खिड़की के नजदीक छुपा हुआ था। धावा इतने जोर से बोला गया था कि उसके बल पर वे भूतल तक पहुंच गए लेकिन उनके जख्म इतने गंभीर थे कि वे वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। दरवाजे पर पहुंचते ही, सीमा सुरक्षा बल के दल ने भारी कवरिंग फायर करते हुए उन्हें वहां से निकाल कर अस्पताल पहुंचाया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। निरंतर गोलीबारी करने और ग्रेनेड फेंकने के पश्चात्, फंसे हुए शेष दो उग्रवादी भी घेराबंदी दलों द्वारा मार गिराए गए। मारे गए उग्रवादियों की शिनाख्त एच एम गुट के, पुलवामा के निवासी, शौकत अहमद दर, कोड इमरान, एल ई टी गुट के अफगानिस्तान के एक उग्रवादी हमीद भाई कोड परवाना तथा एच एम के पुलवामा से ही मोहम्मद मजबूल हजाम कोड हैरिस के रूप में की गई। घटनास्थल से 3 ए के राइफलें, 1 मेटल ग्रेनेड, 1 वायरलैस सेट और गोलाबारूद बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में (दिवंगत) श्री शमशेर सिंह, सहायक कमांडेंट ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, राष्ट्रपति के पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 2 मई, 2000 से दिया जाएगा।

वरुण मित्रा,
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 41-प्रेज/2001—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारियों का नाम और रैंक

श्री श्रीनिवास सिंह,
कांस्टेबल (जी डी),
ई/67 बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

श्री घनश्याम पटेल,
कांस्टेबल (जी डी),
ई/67 बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया :

2-6-1999 को भगवान गंज पुलिस स्टेशन, जिस पर उग्रवादियों द्वारा भारी गोलीबारी की जा रही थी, को बचाने के लिए राज्य पुलिस से एस ओ एस काल प्राप्त होने के पश्चात्, राज्य पुलिस के साथ केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक प्लाटून उस स्थल की ओर रवाना हो गई। 7 कि० मी० कवर करने के पश्चात्, पुल पर एक पुलिस वाहन को उड़ा दिया गया और वह बायीं तरफ की ओर जमीन पर उलटा हो गया। इस वाहन में सवार पुलिस कर्मी उछल कर खेत में गिर पड़े। इस पर, उग्रवादियों ने पुलिस कार्मिकों से हथियार छीनने और उन्हें मारने का प्रयास किया। सर्वश्री श्रीनिवास सिंह और घनश्याम पटेल, कांस्टेबल, हालांकि बुरी तरह से घयल हो गए थे, फिर भी इन्होंने गोलीबारी करके उग्रवादियों को ललकारा और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने मृत/घायल पुलिस कार्मिकों से हथियार/गोला-बारूद तलाश करके अपनी पोजिशन को सुदृढ़ कर लिया और घटनास्थल पर अतिरिक्त बलों के पहुंचने तक गोलीबारी करते रहे। उनकी कारगर गोलीबारी ने उग्रवादियों को वहां से दूर रहने के लिए मजबूर कर दिया। इस प्रकार, श्री सिंह और पटेल ने अपने हथियारों के अलावा अपने प्राणों तथा अपने साथी घायल कार्मिकों की जान की रक्षा की।

इस मुठभेड़ में, श्री श्रीनिवास सिंह, कांस्टेबल और श्री घनश्याम पटेल, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अधीन वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 2 जून, 1999 से दिया जाएगा।

वरूण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 42-प्रेज/2001—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम और रैंक

(दिवंगत) श्री एस० ए० करीम, कांस्टेबल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल। (वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)

श्री जय नारायण पांडे, कांस्टेबल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल। (वीरता के लिए पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया :

गांव कचनामा में पी० डब्ल्यू० जी० उग्रवादियों की उपस्थिति के बारे में सूचना मिलने पर सिविल पुलिस के साथ-साथ केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की दो प्लाटूनों को इस क्षेत्र में विशेष अभियान चलाने के लिए 3-3-2000 को तैनात किया गया था। गांव की घेराबंदी करने के पश्चात, पुलिस दल ने उग्रवादियों की तलाश शुरू कर दी। ऐसा करते समय उन पर भारी गोलीबारी हुई और उन्हें काबू कर लिया गया। इस बारे में सूचना प्राप्त होने पर, श्री बी०आर० सिंह, कमांडेंट अन्य व्यक्तियों के साथ घटनास्थल की ओर तेजी से भागे। वहां पहुंचने पर, इन्होंने एक आपरेशन की योजना बनाई और अपने बल को दो ग्रुपों में बांट दिया—एक का नेतृत्व स्वयं किया तथा दूसरे का नेतृत्व श्री पी०सी० बगा, उप कमांडेंट को सौंपा। श्री सिंह और उनका दल, काबू की गई टुकड़ी के नजदीक पहुंचने में सफल हो गए। इस दल के कांस्टेबल श्री पी० के० जेना ने एक राइफल ग्रेनेड दागा। इस पर उग्रवादी घबरा गए और वे बाहर खुले में आ गए और बचने के प्रयास में पुलिस दल पर गोलीबारी की। उनका श्री मोहम्मद नसीम, दया राम, कांस्टेबलों और श्री बी० के० सिंह, लांसनायक ने उनका पीछा किया। ये पुलिस कर्मी चार उग्रवादियों को मारने में सफल हो गए और उनसे भारी मात्रा में हथियार/गोला-बारूद बरामद किया। श्री बी० आर० सिंह ने दूसरे घर पर एक राइफल ग्रेनेड दागा। उसके पश्चात, ये और उनका दल उग्रवादियों के नजदीक पहुंच गया। श्री सिंह ने सर्व/श्री एस० ए० करीम, जय नारायण पांडे और नरेश कुमार, कांस्टेबलों को साथ लेकर उस घर के दरवाजे को तोड़ दिया जहां उग्रवादी शरण लिए हुए थे। उसके पश्चात वे और उग्रवादी आमने-सामने आ गए और हाथापाई समेत एक जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इस नजदीकी गोलाबारी में दो उग्रवादी मारे गए जबकि श्री करीम बुरी तरह घायल हो गए और उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। सर्व/श्री जय नारायण पांडे और नरेश कुमार गोलियों से जख्मी हो गए। श्री पी०सी० बगा, उप कमांडेंट की कमान में एक अन्य पुलिस दल ने गांव की उत्तरी दिशा में उग्रवादियों की गोलीबारी का डट कर मुकाबला किया। श्री बगा और उनका दल जब एक घर की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्होंने श्री के० प्रताप, कांस्टेबल को निशाना बनाते हुए एक उग्रवादी को देखा। सर्व/श्री बगा, अब्दुल रशीद और अरविंद सिंह ने तत्काल उस पर गोलीबारी की। उग्रवादी गंभीर रूप से जख्मी हो गया और घावों के कारण घटनास्थल पर ही मारा गया। जैसे ही यह दल आगे बढ़ा तो उन्होंने एक अन्य घर में, खाकी वर्दी में एक उग्रवादी को छुपे हुए देखा। उस पर सर्व/श्री बगा, अब्दुल रशीद और अरविंद सिंह, कांस्टेबलों द्वारा गोलीबारी की गई। इस पुलिस दल ने भाग रहे एक अन्य उग्रवादी को भी मार गिराया। उपर्युक्त मुठभेड़ में, 131 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मियों से बनाए गए दोनों पुलिस दलों ने कुल [illegible] उग्रवादी मार गिराए। निम्नलिखित हथियार/गोला बारूद बरामद किया गया :—

(I)	9 एम एम कारबाइन—	1
(II)	यू एस कारबाइन—	1
(III)	7.62 एम एम एस एल आर राइफल—	1
(IV)	ए के-47 राइफल—	1
(V)	बी/एक्शन राइफल 303—	4
(VI)	315 राइफल—	1
(VII)	3006 बोर राइफल—	1
(VIII)	12 बोर डी बी बी एल गन—	1
(IX)	हथगोले—	3
(X)	डायनामाइट सेट—	1

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) श्री एस० ए० करीम, कांस्टेबल और श्री जय नारायण पांडे, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 3 मार्च, 2000 से दिया जाएगा।

वरूण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 43-प्रेज/2001—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं।

अधिकारियों का नाम और रैंक

श्री एस० पी० पोखरियाल
द्वितीय कमान अधिकारी,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

श्री देव नाथ राय,
कांस्टेबल, 28वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पुलिस पदक प्रदान किया गया :

19–8–1999 को खिरपोरा में उग्रवादियों की उपस्थिति के बारे में सूचना प्राप्त होने पर, उन्हें निष्क्रिय करने के लिए एस ओ जी और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस दल ने उनके उस छिपने के अड्डे की घेराबंदी की जहाँ संदिग्ध उग्रवादी श्रीनगर में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ करने की मंशा से एक बैठक की योजना बना रहे थे। उग्रवादियों ने तत्काल चारों तरफ अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और घेराबंदी तोड़ने के लिए ग्रेनेड फेंके। पुलिस दल ने भी जवाबी गोलाबारी की जिसके परिणामस्वरूप भीषण मुठभेड़ हुई। बाद में सीमा सुरक्षा बल के दल भी अभियान में शामिल हो गए। उग्रवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया लेकिन वे निरंतर अंधाधुंध गोलीबारी करते रहे। श्री पोखरियाल, देवनाथ राय और काशीनाथ कांस्टेबलों के साथ उग्रवादियों की सीधी गोलीबारी से बचते-बचाते उग्रवादियों के छिपने के अड्डे के मुख्य प्रवेश द्वार की तरफ बढ़े और नाली के नीचे आड़ लेते हुए पोजीशन ले ली और उग्रवादियों पर कारगर गोलाबारी शुरू कर दी। श्री पोखरियाल और श्री राय ने उग्रवादियों पर गोलीबारी करके उनका ध्यान बांट दिया। उग्रवादियों ने गोलीबारी की दिशा बदल ली और एक गोली श्री राय को लगी तथा श्री पोखरियाल भी किरचों से जख्मी हो गए। हालांकि, वे घायल थे, फिर भी दोनों ने उग्रवादियों पर गोलीबारी की, जिसके फलस्वरूप उनमें से एक उग्रवादी घटनास्थल पर ही मारा गया और दूसरा घायल हो गया। जख्मी उग्रवादी भागने में सफल हो गया वह नजदीक की इमारत में छिप गया जिसे सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया। कांस्टेबल अब्दुल अजीज ने उग्रवादी पर गोलीबारी की और उसे घटनास्थल पर ही मार गिराया, जिसकी शिनाख्त बाद में लश्कर–ए–तोइबा गुट के डिप्टी चीफ के रूप में की गई। दो उग्रवादियों नामत: अब्दुल रहमान उर्फ अब्दुल्ला और हाजी सुभान उर्फ हुबिब सकीन को मारने के अलावा आपरेशन स्थल से अनेक हथियार/गोला बारूद भी बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री एस०पी० पोखरियाल, द्वितीय कमान अधिकारी और देवनाथ राय, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 19 अगस्त, 1999 से दिया जाएगा।

वरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 44–प्रेज/2001–राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री ए० काना शेट्टी,
लांसनायक,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया :

5.12.1999 को पुलिस स्टेशन सदर के अंतर्गत गांव-निजोपाथोरी के नजदीक एक गन्ने के खेत में कुछ संदिग्ध उल्फा उग्रवादियों की उपस्थिति के बारे में सूचना प्राप्त हुई। पुलिस अधीक्षक और पुलिस स्टेशन सदर से पुलिस कार्मिकों के साथ-साथ केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 अन्य कार्मिकों सहित श्री चरणजीत सिंह, द्वितीय कमान अधिकारी की कमान में विशेष आपरेशन के लिए एक दल की पहचान की गई जगह की तरफ रवाना हुआ। जब तलाशी अभियान चलाया जा रहा था तो पुलिस कार्मिकों पर उग्रवादियों द्वारा गोलीबारी की गई। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के दल ने तत्काल पोजीशन ले ली और उग्रवादियों पर जवाबी गोलीबारी की। मुठभेड़ के दौरान लांसनायक ए० काना शेट्टी ने एक उग्रवादी को भागने का प्रयास करते देखा। वे बच कर भाग रहे उग्रवादी की तरफ बढ़े। उग्रवादियों की तरफ से हुई गोलियों की बौछार से इनके पेट में दांयी ओर गोली लगी और वे घायल हो गए। जख्मों के बावजूद, जवाबी कार्रवाई करते हुए इन्होंने भाग रहे उग्रवादी पर प्रभावी रुप से गोलाबारी की तथा उसे घटनास्थल पर ही मार गिराया, बाद में, मारे गए उग्रवादी की शिनाख्त मन्ना बोरा (एक कट्टर उल्फा) के रुप में की गई। मृत उग्रवादी से एक 9 एम एम ब्रोनिंग पिस्तौल, 9 एम एम के 8 जीवित राउन्ड और 9 एम एम के 2 खाली खोल बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री ए० काना शेट्टी, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 5 दिसम्बर, 1999 से दिया जाएगा।

वरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी, 2001

संकल्प

सं० 11034/1/99-रा०भा०(प्रशि०)— संसदीय राजभाषा समिति के तीसरे प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश राजभाषा अधिनियम 1963 (यथासंशोधित 1967) की धारा 4(4) के अंतर्गत इस विभाग के दिनांक 04 नवम्बर, 1991 के संकल्प संख्या 13015/1/91-रा०भा० (घ) के द्वारा प्रचलित किए गए थे। उस संकल्प के पैरा 5 के तहत दिए गए आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए राष्ट्रपति ने समसंख्यक संकल्प दिनांक 16 जुलाई, 1999 के तहत यह आदेश दिया था कि "क" एवं "ख" क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण वर्ष 2000 के अंत तक तथा "ग" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के कर्मचारियों को वर्ष 2003 के अंत तक पूरा कर लिया जाए।

उक्त संकल्प में पुनः आंशिक संशोधन करते हुए राष्ट्रपति ने अब यह आदेश दिया है कि सभी क्षेत्रों अर्थात् "क", "ख" एवं "ग" क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण वर्ष 2005 के अंत तक पूरा कर लिया जाए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, योजना आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एम० एल० गुप्ता, संयुक्त सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

(राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय)

नई [illegible]

[illegible]

सं० [illegible] 1/99 [illegible] योजना भाग [illegible] दिसम्बर, 1995 को प्रकाशित पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय के दिनांक 5 दिसम्बर, 1995 के संकल्प सं० [illegible]3011/1/91-रा० न० स० निदेशालय के पैरा 5 मद (II) में निम्नलिखित संसद सदस्यों के, जो कि इस मंत्रालय के दिनांक 13-7-1998 के संकल्प संख्या ए-33011/1/94-रा० न० प० निदे० के तहत प्रकाशित प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय की संरचना से संबंधित मद (II) (क) से (ख) के सामने दिए गए हैं, के स्थान पर निम्नलिखित नाम प्रतिस्थापित किए जाएंगे —

1	गुजरात	श्री राम सिंह राठवा	लोक सभा
2	कर्नाटक	श्री विजय संकेश्वर	लोक सभा
3	मध्य प्रदेश	श्री शिवराज सिंह चौहान	लोक सभा
4	हरियाणा	श्री सुरेन्द्र सिंह बरनाला	लोक सभा
5	पंजाब	श्रीमती संतोष चौधरी	लोक सभा
6	राजस्थान	श्री जसवंत सिंह बिश्नोई	लोक सभा
7	तमिलनाडु	डा० सी० कृष्णन	लोक सभा
8	दिल्ली	श्री लाल बिहारी तिवारी	लोक सभा
9	पश्चिम बंगाल	डा० रणजीत कुमार पांजा	लोक सभा
10	आन्ध्र प्रदेश	डा० अल्लादि पी० राजकुमार	राज्य सभा
11	बिहार	प्रो० रामदेव भंडारी	राज्य सभा
12	उड़ीसा	श्री रंगनाथ मिश्रा	राज्य सभा
13	उत्तर प्रदेश	प्रोफेसर राम गोपाल यादव	राज्य सभा

[श्री सूर्यभान पाटिल वहदाने संसद सदस्य (राज्य सभा) महाराष्ट्र, राज्य सभा में उनके कार्यकाल की अवधि 2-4-2002 अथवा प्राधिकरण के कार्यकाल तक, जो भी पहले हो प्राधिकरण में रहेंगे।]

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाए।

[illegible] आदेश दिया जाता है कि [illegible] संकल्प को जन-[illegible] राजपत्र में प्रकाशित [illegible]

[illegible] शर्मा, सलाहकार

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 फरवरी 2001

संकल्प

सं० : ई- 11011/3/93-हिन्दी- इस मंत्रालय के दिनांक 18 जुलाई, 2000 के सम-संख्यक संकल्प का आंशिक संशोधन करते हुए, भारत सरकार उक्त संकल्प के कम संख्या 30 में उल्लिखित नाम श्री प्रेम कुमार मणि, 2, पूर्वी विहार, आशियाना नगर, पटना-800025 के स्थान पर निम्नलिखित नाम को नागर विमानन हिन्दी सलाहकार समिति में सदस्य मनोनीत करती है :-

क्रम संख्या : 30 : डॉ० कुमुद शर्मा,
एफ 9/जी, डी० डी० ए० फ्लैट्स,
मुनिरका, नई दिल्ली

इनके संबंध में शर्तें वही होंगी जो 18 जुलाई 2000 के समसंख्यक संकल्प में दी गई हैं ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय राजस्व के महा लेखाकार, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

सनत कौल,
संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 09th February 2001

No. 16-Pres/2001.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned Officer of Bihar Police :—

Name & Rank of the Officer

Shri Anandi Paswan,
Asst. Sub-Inspector,
Bihar.

Statement of service for which the decoration has been awarded :

On 2-6-1998 a police party under the command of Shri Abdul Gani Mir, SDPO alongwith two platoons of CRPF were deputed for conducting an operation against the extremists in Jahanabad. On reaching there, the police party cordoned the area. The extremists were hiding in a house. On seeing the police, some of the extremist started fleeing towards west after opening the main gate of the house and others started firing on the police party. This was retaliated by the police party. In this encounter Shri A. Paswan, ASI played a leading role resulting in the killing of two extremists. Meanwhile S/Shri Ram Yash Singh, SP, R. Ranjan Singh, Dy. SP, Shiv Lagan Ravidas, Inspector alongwith large contingent of re-enforcement reached the site of the encounter. Thereupon, the police party headed by Shri Ram Yash Singh resorted to lobbying of hand grenades and teargas shells at the extremists. The extremists also continued firing on the police party. In the exchange of firing S/Shri Dwarka Ram, ASI, Ranjit Kumar Singh Constable and L/N Uma Shankar Singh of CRPF sustained bullet injuries. Taking a chance, Shri Abdul Gani Mir alongwith Deputy Commandant, CRPF, Shri Rama Shankar Rai and Shri Rajesh Sharan, SI stored into the hiding place of the extremists. On seeing the police entering the hideout, the extremists started fleeing while continuing indiscriminately firing on the police party. The extremists while retreating were encountered by another police party. This part of the encounter lasted for about half an hour wherein Sergeant Major Rajendra Kumar Choudhary, S. I. Akhilendra Kumar Singh, Muni Lal Rana, SI and SI Sanjay Kumar Pandey played significant role in killing 5 extremists. The above encounter led to the killing of 19 hardcore extremists and large cache of arms, ammunition and other incriminating material including one SLR 7.62, one carbine 9 mm, two Rifles, three rules .303, two rifles .315, one DBBL Gun, one country made pistol, besides a huge quantity of cartridges, explosive material and naxalities literature seized from the site of encounter. S/Shri Rama Shankar Rai, Deputy Commandant, Onkar Singh, L/Naik and Ajit Kumar Singh, Constable, CRPF have already been awarded Police Medal for Gallantry for their action in the above incident.

In this encounter Shri Anandi Paswan, Asst. Sub-Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

The award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 2nd June 1998.

BARUN MITRA,
Dy. Secy. to the President

No. 17-Pres/2001.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned Officers of Bihar Police :—

Name & Rank of the Officers

Shri Shiv Pujan Singh
Inspector

Shri Mundrika Prasad,
Sub Inspector,

Statement of service for which the decoration has been awarded :

On 10-12-1999 at about 21.15 p.m Inspector Shiv Pujan Singh got information that armed squad of the banned ultra outfit People's War were planning to commit massacre in Jalpura area. Thereupon Shri Singh organised a raiding party including SIs Mundrika Prasad, Ram Bhajju Dayal, Dilu Lohar, Sanjay Kumar Jha, Lal Bahadur Ram, Constables Surendra Mishra, Pradeep Prasad and Brajesh Kumar Jha. On reaching the spot the police cautiously moved on foot towards the bank of river Sone. After traversing a distance of about 1.5-KM, the police party was suddenly fired upon by the extremists. The police party took position and asked the extremists to surrender. The extremists started raising slogans and fired indiscriminately on the police party. This was retaliated by the police. S/Shri Pujan Singh Inspector and Mundrika Prasad, SI got hurt with the firing from the extremists. Inspite of injuries, the police personnel alongwith others continued chasing the extremists while firing on them. The extremists started retreating and escaped taking advantage of the darkness. Later on a body of one extremist identified as Vishwanath Yadav alias P. P. alias Pratap Jee

the self proclaimed Area Commander of the dreaded banned extremist organisation People's War was recovered from the site. One country made rifle, One country made loaded pistol, 14 live cartridges of .315 bore with Vindoliya, 3 live cartridges 303 bore, 2 emtpy .12 bore and 5 empty .315 bore were also recovered during search of the area .

In this encounter S/Shri Shiv Pujan Singh, Inspector & Mundrika Prasad, Sub-Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(1) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 10th December, 1999.

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President

No. 18-Pres/2001.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned Officer of Haryana Police :—

Name & Rank of the Officer

(Late) Shri Ashok Kumar,
Constable, Sonepat.

Statement of service for which the decoration has been awarded :

On 6-11-1999 at 4.30 P.M. a fire broke out in Katchey Quarters Market, Ashok Nagar, Sonepat. This fire spread very fast and gutted 14 shops in the market. Shopkeepers were trapped inside the shops resulting into the death of 48 and injuries to 10 persons. Shri Surender Singh, Head Constable who was on mobile PCR van and Shri Ashok Kumar, Constable who was on Motor Cycle patrolling in that market at that time exhibited extreme sense of devotion to duty and courage to lead the rescue operation with the help of other public men and saved many valuable lives. Shri Singh got suffocated during the rescue operation and was hospitalised. In the rescue operation, Shri Ashok Kumar got burnt and his dead body was recovered alongwith others from the debris of the shops.

In this rescue operation (Late) Shri Ashok Kumar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(1) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 6th November, 1999.

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President

No. 19 Pres/2001-The President is pleased to award the Bar to police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of J&K Police :—

Name & Rank of the Officers

1. Shri Jagtar Singh, Inspr. (Bar to PMG)
2. Shri Deedar Singh, ASI
3. Shri Mohd. Shafi Dar, ASI
4. Shri Chanderpaul, Constable.

Statement of service for which the decoration has been awarded :

On 1st May, 99, specific information was received that a group of dreaded militants of Hizbul Mujahideen equiped with illegal weapons were planning to conduct a meeting at the residential house of Mohd. Maqbool Wani at Usmania Colony Shankerpora, Srinagar. Police party under the supervision of SP(Ops) Srinagar alongwith CRPF personnel immediately laid the outer cordon of the area. While laying inner cordon of the house, militants started firing on SOG party indiscriminately from in side the said house . Inspr. Jagtar Singh accompanied by ASI Deedar Singh, ASI Mohd. Shafi Dar and Constable Chanderpaul volunteered to evacuate the inmates of the house and flush out the militants from the hideout. They stormed the house and jumped on the ground floor under heavy firing from the militants and evacuated the inmates safely. The militant took position in the second storey of the house and inflicted heavy fire on the party which resulted into a fierce encouner, The militant hurled grenades from upper storey resulting injuries to Inspr Jagtar. Despite injuries he moved close and took position under the cover of a wall and succeeded in killing the dreaded militant. Showkat Ahmad Qazi code Shaheen Chief of Hizbul Mujahideen outfit, resident of Srinagar. 01 AK rifle, 03 AK Magazine, 04 AK rds, 01 Grenade Througher Cup and 02 Wireless Sets were recovered from the encounter site.

In this encounter S/Shri Jagtar Singh Inspector, Deedar Singh, ASI, Mohd. Shafi Dar, ASI and Chanderpaul, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 1st. May, 1999.

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President

No. 20 Pres/2001—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Madhya Pradesh Police :—

Name & Rank of the Officer

Shri Lal Singh Kushwah,
Constable, Madhya Pradesh.

Statement of service for which the decoration has been awarded :—

On the 18th September, 1999, when fifteen undertrials were being carried out from the Central Jail to Madhav Dispensary Gwalior for treatment and medical check-up, miscreants armed with deadly weapons climbed on the vehicle and rushed towards one of the undertrial, Shri Jitendra @ Tinku. The sudden attack created a panic in the escorting police guard and the crowd of patients in the dispensary Shri Lal Singh Kushwah, Constable while loading his rifle was noticed by the miscreants and was attacked by one of them. As a result of it Shri Kushwah was injured and without caring for his injury, he fired at the miscreants. In the meantime the other miscreants attacked on their target, Shri Jitendra. The third miscreant fired on Shri Kushwah but he escaped narrowly. Apprehending arrest, the culprits ran away. Shri Mushwah handed over the undertrial, Jitendra to his associate, Shri Ram Kishore and chased himself the culprits. One of them was overpowered by him in the scuffle. However, two of them managed to escape taking the advantage of dense residential area. One katta and a live round were recovered from the overpowered culprit.

In this encounter Shri Lal Singh Kushwah, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 18th September, 1999.

BARUN MITRA
Deputy Secretary to the President

No. 21-Pres/2001—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Madhya Pradesh Police :—

Name & Rank of the Officers

S/Shri
Surendera Kumar Pandey,
S.P., Madhya Pradesh.

Madan Mohan Mishra,
SDPO, Madhya Pradesh

Statement of service for which the decoration has been awarded :—

On 7 7-99 Shri Surendra Kumar Pandey, S.P. after receiving information about the presence of naxalites of MCC, rushed to dense Joba Jungle. After conducting intensive search for two days in the Jungles, the naxalites were spotted by a police search party and immediately Shri Pandey alongwith SDPO, Ramanujganj, Shri M.M. Mishra, SDPO Surajpur, Shri Manoj Singh, other officers and force converged at the spot. The naxalites opened heavy fire on police party. Shri Pandey immediately retaliated the naxalites by opening fire from his S.L.R and also ordered his party to open fire on the naxalites. There was a heavy exchange of fire for about 90 minutes. Shri Pandey emerged from his position and moved forward to mount a direct assault on the naxalites. He came under a volley of heavy fire from the enemy and continued his frontal offensive on the naxalites and as a result the naxalite leader was hit and killed on the spot. Thereafter naxalites started escaping in the jungle. Shri Pandey alongwith his party chased the fleeing naxalites and as he was advancing towards the extremists position, he was hit on the right hand by naxalites bullet. He saw some naxalites fleeing towards Chinia and immediately alerted SDPO Shri Mihsra on wireless. Shri Mihsra immediately responded and in the ensuing exchange of fire one more dreaded naxalite was shot dead by Shri Mishra. The following arms, ammunitions were recovered from the naxalites :—

1. Rifle .315 —1 No.
2. Rifle .12 bore —2 Nos.
3. Country made .303 —1 No.
4. Live rounds of .315 —12 Nos.
5. Live rounds of .303 —12 Nos.
6. Live rounds of .12 bore —13 Nos.
7. Empty rounds of .303 —18 Nos.
8. Empty rounds of .315 —12 Nos.
9. Empty rounds of .12 bore. —15 Nos.
10. Naxalite Literature "Lal Chingari" book —1 No,
11. Naxalite pamphlets —35 Nos.
12. Canvas Belt —4 Nos.
13. Canvas bullet Belt —4 Nos.
14. Copies —5 Nos.
15. Monkey Cap of Military Colour —3 Nos.
16. Red Towe —6 Nos.
17. Military Colour uniform—shirts, 3, and pant —2 Nos.
18. Rs. 4710/- Cash alongwith day to day Consumable items.

In this encounter S/Shri Surendra Kumar Pandey, S.P. & Madan Mohan Mishra, SDPO displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 7th July, 1999.

BARUN MITRA
Deputy Secretary to the President

No. 22-Pres/2001.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Madhya Pradesh Police :—

Name & Rank of the Officer

(Late) Shri Dinesh Kumar Mishra,
Constable, Madhya Pradesh.

Statement of service for which the decoration has been awarded :

On receipt of information from Shri Jamuna S/o Sudarshan Yadav resident of Kaunhari, Guard Commander of SAP post Kaunhari deployed as A.D. post in remote area of P.S. Baroundha about the beating of the contractors and labourers of the Sirsa Diamond Mines, Sirsa by 5-6 armed criminals/dacoits, APC Dal Bhadur Gurung alongwith Shri Shivpratap Singh, Head Constable, S/Shri Ram Khilawan Kori and Dinesh Kumar Mishra both Constables rushed to the said location on 23-5-1999. Shri Mishra and Shri Ramkhilawan chased the criminals and moved towards Chanda Mines. Constable Dal Bahadur and Constable Shiv Kumar Singh countered the criminals in the hilly and dense forest area. At Chanda Mines Constables Mishra and Ramkhilawan were fired upon by the criminal. Shri Mishra received serious multiple gun shot injuries and started bleeding profusely. However, both the Constables chased the criminals who disappeared in the forest area. Shri Mishra could not survive due to the injuries. A Country made 315 bore rifle and 6 live rounds of 30 bore and some empty cartridges left by criminals were seized from the spot.

In this encounter (Late) Shri Dinesh Kumar Mishra, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowence admissible under Rule 5, with effect from 23rd May, 1999.

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President

No. 23-Pres/2001.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermendoned officer of Maharashtra Police :—

Name & Rank of the Officer

Shri D. Jagannath Adsul,
Head Constable, Maharashtra.

Statement of service for which the decoration has been awarded :

On 7-1-1999, on receipt of information about the plans of a dreaded criminal and his associates for shooting down a businessman, a trap was laid by Shri D. P. Avad, ACP alongwith 10 other police personnel including Shri D. Jagannath Adsul, Head Constable. The police party after reaching the identified spot on the 8th Jan., 1999 noticed two persons getting down from an autorickshaw at 0740 hours. S/Shri Anil Shelwale, Sub-Inspector and S. Patil both these police personnel signaled to their other colleagues who tried to over power the accused persons. On this, the gangsters took out their revolvers and started firing indiscriminately on the police party. The police party retaliated. Shri Adsul received bullet injuries in his stomach due to the indiscriminate firing by the criminal. Even inspite of being injured, Shri Adsul continued firing on the criminal. Due to the firing of the police party including Shri Adsul, the criminal got injured and fell down. He was immediately over powered and .33 bore imported revolver with six empty cartridges were recovered from him. However, the associates of the criminal escaped by jumping over the fencing of the garden.

In this encounter Shri D. Jagannath Adsul, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 8th January, 1999.

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President

No. 24-Pres 2001.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Manipur Police :—

Name & Rank of the Officer

Shri A. Tomba Singh,
Sub-Inspector, Manipur.

Statement of service for which the decoration has been awarded :

On 17-2-1999 at about 5.00 p.m. while an armed Police party comprising of Sub-Inspector A. Tomba Singh and 4 Police men of Imphal West District were performing their duties at Khovathong Police Picket two youths—one armed with one 9mm Pistol and another with one Chinese made Hand Grenade approached towards the Police Party and tried to snatch arms and ammunitions from them. The Youth armed with 9 mm Pistol later on identified as Ningthem Singh approached direct Shri Tomba Singh and asked the officer to surrender his service revolver and wireless set. The officer did not yield to the threat. The youth tried to unsheathe his Pistol with intent to eliminate the officer but within no time, Shri Tomba pounced upon the miscreant who fell on the ground. The Police Officer snatched the loaded Pistol from the youth. The other youth armed with one Chinese made hand Grenade identified as Athokpam Premkumar Singh tried to help his associate by joining the fight. At this crucial juncture, the other 4 Policemen in the Picket namely (1) Md Ziauddin Mia, Constable, (2) Shri Okram Lolen Singh, (3) Shri Ibomcha Singh and (4) Shri C. Paisho Tangkhul, all armed with Rifles with ammunition rushed to rescue their Commander Tomba Singh. They overpowered the youth with the hand Grenade he was holding. The other Youth, namely Ningthem Singh escaped by taking advantage of the crowded city and the cover of darkness. Thus Shri Athokpam Premkumar Singh was apprehended with one Chinese made Hand grenade and also one 9 mm pistol. The arrested accused person namely A. Premkumar Singh disclosed that he was an active member of KCP who, sometime back, snatched away arms and ammunitions and wireless set from Khovathong Police Picket.

In this encounter Shri A. Tomba Singh, Sub-Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 11th December, 1999.

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President

No. 25-Pres/2001.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Manipur Police :—

Name & Rank of the Officer

Late Shri Chanambam Sanatomba Singh,
Constable Manipur

Statement of service for which the decoration has been awarded

On an information about a killing of an old man by unknown armed youths at Mongkheng Lambi on the 7th Jan 2000 at about 6.50 p.m., Police parties were deployed under close supervision of senior officers for carrying out frisking and checking over the passers-by and vehicles in that area. One of these police team comprising of the escort party of SP, Imphal West while conducting frisking noticed two youths coming on the scooter. On being asked by Shri Chanambam Sanatomba Singh, Constable to stop for checking, one of these youths opened fire on the police party injuring Shri Singh. In spite of his injury, Shri Sanatomba Singh retaliated by firing on the extremists from his service AK-47 Rifle and killed one of them who was later identified as Khumaijam Mangoljao Singh @ Santa @ Mangol @ Nungshi @ Moramba @ Suren s/o Gopal Singh of Iram Siphai Mamang Leikai, Self-Styled Sergeant Major and Commander of Division No. IV of the Peoples Liberation Army. On seeing this the other extremist ran away. But Shri Singh in spite of serious injuries chased the fleeing extremist alongwith other police personnel. However, he could not continue to chase and fell down on the ground and extremist managed to escape under the cover of darkness. Shri Sanatomba Singh was immediately evacuated to the hospital but succumbed to his injuries on the way. One 9mm Pistol loaded with 11 live rounds one Wireless Set, 24 live rounds of 9mm ammunition and one scooter were recovered from the site.

In this encounter Late Shri Chanambam Sanatomba Singh, Constable displayed conspicuous gallantry courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5 with effect from 7th January 2000.

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President

No. 26-Pres/2001.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Nagaland Police :—

Name & Rank of the Officers

Shri Neiba Newmai,
Dy. S.P. (PSO to Chief Minister)

Late S/Shri
Khenga Rengma,
Lance Naik.
(Late) Limasunep AO,
Constable,

Statement of service for which the decoration has been awarded :

On 29-11-99 at about 0545 hrs. the Chief Minister Nagaland, while proceeding from Dimapur to Kohima was ambushed by elements of NSCN (IM) near 44 KM stone from Dimapur towards Kohima. The ambushers exploded powerful blasts. The explosions threw a truck which was also heading the same direction and crushed the spare car of the VIP. The car of the Chief Minister and other vehicles were also got damaged. Shri Neiba Newmai, Dy. S.P. and PSO to Chief Minister immediately broke and opened the doors of the car and pulled out the Chief Minister to a comparatively safer place. In the meantime, the other escort personnel including Shri Khenga Rengma, L/Naik and Shri Limasunup AO, Constable started firing at the ambushers and also provided covering fire for the Chief Minister. Shri Newmai gave physical shield to the Chief Minister while taking him from one crater to another. Shri Newmai while disregarding his own safety took position and covered the exit of Chief Minister by firing at the ambushers and ultimately they managed to escort the Chief Minister to the pilot vehicle and evacuated him to the Assam Rifles camp. S/Shri Khenga Rengma and Limasunep AO continued providing retaliatory firing to the ambushers and covering fire for the Chief Minister and his escort personnel till they were finally overpowered and killed by the ambushers at point blank range.

In this encounter Shri Neiba Newmai, Dy. S.P., Late S/Shri Khenga Rengma, Lance Naik & Limasunep AO, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 29th November, 1999.

BARUN MITRA
Dy. Secy to the President

No. 27-Pres/2001—The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Tripura Police :—

Name & Rank of the Officer

(Late) Shri Krishna Kumar Sinha,
Rifleman.

Statement of service for which the decoration has been awarded :

A mobile ROP party consisting of 10 Police personnel including Shri Krishna Kumar Sinha, Rifleman left Jatanbari alongwith one civil truck carrying rice and 12/15 civilians on 10th July, 1999 at 1110 hours. When this mobile ROP Convey

reached near Jatanbari adjacent to Village Tekumvari, a suddon mine exploded in front of jeep of the Convey. Shri K.K. Sinha, Rifleman who was sitting in the 3rd jeep immediately jumped therefrom and started firing to counter the extremists. Thereupon 5 other riflemen took position and started moving towards South-West about 10 yards towards first jeep. In the meantime, the third jeep was also ambushed and the extremists also started firing on the Police party. This was retaliated by the Police party. While continuing firing, Shri Sinha advanced towards extremists to overcome the ambush. In the exchange of firing, Shri Sinha was seriously injured but he continued firing and fitted the loaded magazine replacing the empty one. The extremists threw grenades on the Police party killing 4 police personnel on the spot. This action of the extremists made Shri Sinha violent and furious and inspite of his unconscious position, he continued firing on the extremists. Ultimately he got killed in the firing and grenade explosioon from the extremists.

In this encounter (Late) Shri Krishna Kumar Sinha, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 10th July, 1999.

BARUN MITRA,
Deputy Secretary to the President

No. 28/Pres/2001.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of BSF Police ;—

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Apurva Kumar Biswas,
Constable, BSF.

Statement of service for which the decoration has been awarded ;—

On 17th October 1999 at about 0630 hrs, an information was received that some militants had entered Village Batpura. A party under the Command of 2 I C of the 110 Bn. cordoned the village from three sides & started searching the houses one by one. When the party approached one of the houses the inmates came out hurriedly and left. The police paarty was fired at by the inmates as and when the party opened the gate of the house to enter therein. Shri Apurva Biswas Constable with others ran up to the wall of the house from the front side and fired a burst inside. Thereupon two militants ran out from the house through and entered a lavatory and locked themselves inside it and kept firing at the cardon. However, Shri Biswas managed to come close to the lavatory behind trees and moving under the covering fire threw a grenade, which exploded, inside the lavatory and firing stopped thereafter. Shri Biswas opened the door and found two dead bodies of militants later identified as Mustaq A Hurra and Abu Jehad, of Al Badar outfit. Two AK Rifles and huge quantity of ammunition were recovered from the site.

In this encounter Shri Apurva Kumar Biswas, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 17th October 1999.

BARUN MITRA,
Deputy Secretary to the President

No. 29-Pres/2001.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of BSF Police :—

Name & Rank of the Officer

Shri Amal Banerjee,
Constable, 55 Bn., BSF.

Statement of service for which the decoration has been awarded :

On the night of 29/30 Dec, 99 a group of 25–30 UGs belonging to the PLA quietly encircled the Khudengihabi and post opened heavy volume of fire with MMG and also fired 2 inch Mor bomb on the BOP where Shri Amal Banerjee Constable was on Sentry duty. This was retaliated by Shri Banerjee. Before Shri Banerjee could be re-inforced, he prevented militants from advancing with his LMG firing in an arc. However, one ricochet bullet hit his head. Despite the injury, he continued firing till re-inforcement reached and took over his LMG. On search of the area, 02 kenwood transreceiver, telescope antennas, 01 Flash hider, 02 Molotive cocktail charger and huge quantity of live ammunition of AK series rifles and 2 inch Mor were recovered.

In this encounter Shri Amal Banerjee, Constable displayed conspicous gallanary, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carrice carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 29th December, 1999.

BARUN MITRA,
Dy. Secy. to the President

No. 30-Pres/2001.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of BSF Police :—

Name & Rank of the Officer

Shri Abdul Mazid,
Constable, 30 Bn., BSF.

Statement of service for which the decoration has been awarded :

On receipt of information on 21st of Dec, 1999 about the presence of militants in a house in Village Yakmanpura, a joint operation was planned by troops of BSF. After cordoning the house and taking position, the troops fired on the target house. The militants did not respond to police firing. The stalemate continued throughout the night. Next morning two storming parties were formed. When the first party entered the house, one of the militants hiding under a haystack, fired from close range injuring Shri Rajpat Ram, Head Constable who later succumbed to his injuries. The storming party retreated and brought down one portion of the building. Militants continued to fire from the other portion of the building. Thereafter a second charge was placed and the whole building caved in. Shri Pradeep Kumar, Constable who had moved forward to clear the debris suddenly came under fire from two militants hiding in the house. In retaliation he also fired killing the militant who was hiding under the debris of the roof. The dead-body was dragged out. The other militant who was trapped in the debris opened fire on Shri Abdul Majid, Constable. Shri Majid seeing a gap in the debris pulled out a grenade and threw it inside the debris and rolled away from that place. Due to the explosion, the militant, who was hiding inside the debris was killed. The following arms/ ammunition were recovered from the site :

(a) AK Series Rifle—03 Nos. (one damaged)

(b) AK Series Mag—11 Nos. (three damaged)

(c) AK Amn. (Live)—291 Nos.

(d) Chinese Pistol—01 Nos.

(e) Pistol Mag—02 Nos.

(f) Pistol Amn.—12 Nos.

(g) Wireless set with Assay—02 Nos.

(h) Hand Grenade—03 Nos.

(i) Pouches (Canvas)—03 Nos.

In this encounter Shri Abdul Mazid, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 22nd December, 1999.

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President

No. 31-Pres/2001.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of BSF Police :—

Name & Rank of the Officer

Shri B.M.P. Dobriyal,
Subedar,
(Late) Shri Pradeep Singh,
Constable.

Statement of service for which the decoration has been awarded :

On the intervening night of 15/16 January, 2000 information was received at the Tac Hqrs about the presence of militants on the higher reaches of Zizbal area. A Coy of 34 Bn. of BSF was sent to cordon the area. The column was divided into two groups and the suspected hide out was cordoned. Before the cordon could be closed, the militants started firing on the BSF personnel. Taking advantage of the terrain, the militants started to slip out through the gaps of the cordon and climbing on the higher slopes. Shri B M P Dobriyal, Subedar took control of the troops and chased the militants. Shri Pradeep Singh, Constable leading the column started running ahead dodging behind trees and boulders under covering fire to chase the fleeing militants. Shri Singh shot and injured one militant but in the process militants firing from higher slopes succeeded in hitting Shri Singh who succumbed to his injuries Shri Dobriyal under covering fire managed to come close to the injured militants and shot him. However, he too was hit by a bullet on his right foot. The killed militants were later identified as Naize Ahmed Sheik and Muddassar-ul-haque, belonging to HM-PTM. Two AK Rifles, one country made SBBL, magazines and ammunition were recovered from the site.

In this encounter Shri B.M.P. Dobriyal, Subedar and (Late) Shri Pradeep Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 16th January, 2000.

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President

No. 32-Pres/2001.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of BSF Police :—

Name & Rank of the Officer

(Late) Shri J. S. Pathania,
Assistant Commandant.

Statement of service for which the decoration has been awarded :

On 14-2-2000 secret information about the presence of Head of Laskher-e-Toiba in a house of an Engineer in Padshahi Bagh, S/Shri J. S. Pathania and Tejinder Singh, Assistant Commandants cordoned the area for apprehending Abu Tala. Shri Pathania alongwith his Quick Reaction Team very cautiously searched ground and first floor of the said house. During his first round, Shri Pathania and his team could not locate the extremist. After getting back to his source, Shri Pathania re-entered the first floor of the house with his Quick Reaction Team. Abu Tala who was hiding under the low cot, suddenly rose and fired at Shri Pathania with his pistol injuring him badly. Though injured, Shri Pathania succeeded in firing one burst at the militant. Both Shri Pathania and the militant succumbed to their injuries before the Quick Reaction Team could dash in. On search, one 9mm Piston with Magazine and some rounds were recovered from the deceased militant.

In this encounter (Late) Shri J. S. Pathania, Assistant Commandant displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 14th February, 2000.

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President

No. 33-Pres/2001.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of BSF Police :—

Name & Rank of the Officer

Shri A. S. Gangwar,
Assistant Commandant, 4th Bn. BSF.

Statement of service for which the decoration has been awarded :

On receipt of information on 26 Oct 1999 that HM militants alongwith a few outsiders had taken shelter in some houses of Kangan village under Police Station Pulwama, Shri G S Choudhary, Offg. Comdt. BSF made a plant to cordon the village and search the suspected houses. Troops of BSF under the command of A S Gangwar AC and Inspr Jaipal Yadav cordoned the suspected village. Shri G S Choudhary Offg. Comdt split his columns so as to approach the village from different direction. After cordoning the village parties were sent to search the houses. A team led by Shri A S Gangwar AC after taking precautions managed to enter the ground floor of a suspected house and thereafter moved to

its first floor. One militant who was hiding just above the landing place, fired a burst down the stairs which hit Shri Gangwar and also damaged his AK rifle. Shri Gangwar jumped back and fired on the militant who was injured and died shortly. The police party took position in different rooms of the ground floor and firing on them continued from the first floor. Shri G. S. Choudhary then deployed his troops in the surrounding houses and brought down heavy volume of fire from surrounding houses. Under covering fire, he was able to send HC/RO Rajesh Kumar and Head Const. S N Roy and evacuated Const. Shri Kumar and Const. Gurpal Singh struck up in the ground floor of the target house. Due to the explosion of grenades the curtains and linen caught fire and a gas cylinder kept in the kitchen also exploded which in turn resulted in burning of the first floor of the house. The two militants who were [illegible] ed from the window were killed by the firing of the BSF [illegible]. 3 AK rifles two in partially burnt condition and one fitted with grenade launcher, 5 AK-56 rifle Mags, 1 pistol and [illegible] pistol mags were recovered from the house.

In this encounter Shri A. S. Gangwar, Assistant Commandant displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 26th October, 1999.

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President

No. 34-Pres/2001.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of BSF Police :—

Name & Rank of the Officer

Shri Ajeet Singh,
Lance Naik, 107 Bn. BSF.

Statement of service for which the decoration has been awarded :

On 29th Jan. 2000 O. S. Ajay Dy. Comdt. received information that one Manzor Ahmed Nazar a wanted militant of Hizbul-Mujahideen could be passing through Karan Nagar. Accordingly a special plan was organised. At about 2130 hrs one of the ambush party noticed a suspicious person approaching Karan Nagar on a bicycle. The ambush party challenged him to stop but he turned around and tried to escape. Seeing the suspicious person fleeing L/Nk (Driver) Ajeet Singh chased him. The militant pulled out his pistol and started firing at the chasing BSF personnel. Shri Ajeet sing grabbed the militant from behind and they both fell down on the ground. The militant struggled and freed himself and fired at Shri Ajeet Singh again. Finding no other alternative, Shri Ajeet Singh shot the militant. One Chinese pistol, one Chinese Pistol magazine, pistol live ammunition-one round, Pistol empty cases-3 rounds, Chinese grenade-one, Bicycle-one, One fake Identity Card and empty AK-47 rounds-4 nos were recovered from the dead militant.

In this encounter Shri Ajeet Singh, Lance Naik displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 29th January, 2000.

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President

No. 35-Pres/2001.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of BSF Police :—

Name and Rank of the Officer

(Late) Shri Chandra Shekhar K. B.,
Constable
124 Bn. BSF

Statement of service for which the decoration has been awarded .

On 5th of January 2000, at about 0100 hrs.; after finishing his Sentry duty at Officers Mess, Const. Chandra Shekhar was returning to his living bunker when he heard some suspicious movements in the dry Nala. He immediately took position and fired towards the Nala. A group of militants were hiding there and moving surreptitiously through the Nala probably with the object of attacking the District Police Lines Camp. Sh. Chandra Shekhar did not have proper cover from where he had fired. He sustained serious bullet injury from the retaliated firing by the militants. Despite his injury Shri Chandrasekhar continued firing. On hearing the sound, the other sentries rushed to the place and retaliated the firing. The militants retreated as their plan to attack the Police Mess where Senior Officers were staying was foiled. Shri Chandra Shekhar who was severely bleeding succumbed to his injuries while being evacuated to hospital.

In this encounter (Late) Shri Chandra Sekhar K. B., Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5 with effect from 5th January 2000.

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President

No. 36-Pres/2001.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of BSF Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Tajinder Singh,
Assistant Commandant,
22nd Bn. BSF

Statement of service for which the decoration has been awarded :

On 11th March 2000, an information was received about the presence of some militants in Fruit Mandi area of Parimpora, Srinagar. A party under the command of Shri Tajinder Singh Asstt. Comdt. cordoned the area and identified the target house. After bringing heavy volume of fire through the three LMGs positioned on different sides of the house, Shri Singh lead his party to the house where he spotted a militant lobbying grenade through the window of the house but the Police party escaped unhurt by taking lying position. Shri Tajinder Singh kicked open the door and continued firing. Before the militant could react, Shri Singh killed him. The dead militant was later identified as Showket Ahmed Khan @ Nun Khoru, Coy Comdr of the Hizbul Mujahideen. One AK rifle, two magazines, two grenades, 28 rounds and 22 EFCs were recovered from the room.

In this encounter Shri Tajinder Singh, Assistant Commandant displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5 with effect from 11th March 2000

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President

No. 37-Pres/2001.—The President is pleased to award the [illegible] Police Medal/Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of BSF Police :—

Name and Rank of the Officers

(Late) Shri [illegible] Nath Thakur [illegible]
Subedar
[illegible] Bn. BSF

Shri Mohan Singh, —(PMG)
Constable.
34 Bn. BSF.

Statement of service for which the decoration has been awarded :

On 9th April, 2000 Subedar Dina Nath Thakur while on patrolling duty received an information that some militants had come to a house in Vill. Sir. Shri Thakur immediately briefed his men on ptrol duty and headed towards village Sir. He also informed the Bn. HQs for re-inforcements. Shri Thakur divided his small patrol party into three groups to cordon the house from different directions without waiting for the reinforcement. Shri Thakur alongwith Shri Mohan Singh, Constable and a civilian entered the target house and positioned in different direction. As the door was kicked open a burst of fir ecame from inside hitting Sh. Thakur and the civilian. The civilian died on the spot. Shri Thakur, though severely injured, lobbed a grenade through the door under cover of the wall and then charged in firing his AK rifle. He was able to kill the lone militant before getting a second burst killing Shri Thakur inside the house. One AK rifle, some ammunition and one hand grenade were recovered from the killed militant.

In this encounter (Late) Shri Dina Nath Thakur, Subedar, & Shri Mohan Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 9th April 2000.

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President

No. 38-Pres/2001.—The President is pleased to award the Bar to Police Medal for Gallantry/Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of BSF Police :—

Name & Rank of the Officers

(Late) Shri Mohan Singh, - (Ist Bar to PMG)
Subedar, 32 Bn. BSF.

Shri N. K. Ganguli,
Constable, (Driver), 32 Bn. BSF.

Statement of service for which the decoration has been awarded :

On 12th Feb 2000 a convoy of 4 vehicles of 32 Bn BSF was carrying ballot boxes and the polling staff for election duty from Saikot to Sugnu. Militants ambushed the convoy from the hillside. Subedar Mohar Singh Promptly directed to keep the convoy going on. Constable/Driver N K Ganguli got a bullet on his left thigh. Despite being immobilised, he continued to drive and lead the convoy out of the ambushed area. Shri Singh then halted his convoy and after taking position started firing on militants. Shri Singh when moving from cover to cover slightly exposed himself and one bullet hit on his head and he died on the spot.

In this encounter (Late) Shri Mohar Singh, Subedar & Shri N K Ganguli, Constable (Driver), displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 12th February, 2000.

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President

No. 39-Pres/2001.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of BSF Police :—

Name & Rank of the Officer

Shri Rampal Singh,
Constable, 132 Bn BSF.

Statement of service for which the decoration has been awarded :

On 30th January, 2000, Inspector A. S. Negi, Offg. Coy Commander at Gunda, received information that 3 militants have taken shelter in a house of Bakarwals. Shri Negi immediately took a party including Sub-Inspectors, R. S. Negi, and R. P. Saini and moved towards the house. In the meantime the militants left the house and moved inside Keri forest. Shri Negi divided his company into 3 columns, one under his own command, one under SI R S Negi and another under SI R P Saini and approached Keri forest from three different directions. The militants fired one grenade on a BSF party approaching from a Nallah taking shelter behind the boulders. Constable Rampal who was coming in from the right flank was injured. He continued to advance alongwith his column and the militants started retreating behind boulders towards the jungle. Constable Rampal despite his injuries lobbed a grenade, which exploded and injured one of the militants. The injured militant while trying to escape was killed with two bursts by SI R S Negi. Inspector A S Negi and his column approaching from another nallah from the left flank immediately fired and killed one of the militants on the spot. The third militant meanwhile managed to escape. On search of the area, 01 UMG, 02 Assault AK-47 rifles, 02 Grenade launchers, 05 Hand Grenades, 05 Landing grenades, 01 Pistol and 01 wireless set were recovered from the site.

In this encounter Shri Rampal Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.]

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 30th January, 2000.

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President

No. 40-Pres/2001.—The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of BSF Police :—

Name & Rank of the Officer

(Late) Shri Shamsher Singh,
Assistant Commandant, 104 Bn. BSF.

Statement of service for which the decoration has been awarded :

On the 2nd May 2000 specific information was received from SOG Pulwama about the presence of some militants of Hizbul Mujahideen in Village Lalagarpora. Shri R. L. Sharma, Commandant 104 Bn. BSF proceeded to the area after dividing his troops into three columns to cordon the village. A cordon was laid around a cluster of houses including the target house. When the cordon was being laid, militants started firing on the party. Shri Shamsher Singh, Assistant Commandant had the houses of civilians surrounding the target house got vacated and occupied by his men. He positioned his LMG in opposite the said house to cover windows and brought down heavy fire and finally broke cover to charge into the house. A burst from a militant hit him in the stomach. Despite injuries he fired back and killed the militant who was hiding near the window. The momentum of his charge carried him right upto the ground floor but his injuries were serious and he collapsed. Soon after he reached the door BSF troops under heavy covering fire evacuated him to the hospital where he succumbed. After persistent fire and grenade throwing, remaining two trapped militants were also killed by the cordoning troops. The killed militants were indentified as Showkat Ahmed Dar code Firdous, resident of Pulwama, of HM outfit, Hamid Bhai code Parwana, a militant from Afghanistan of the L-e-T and Mohd. Mazbool Hazem code Harris, also from Pulwama of HM. 3 AK rifles, 1 Metal Grenade 1 wireless set and ammunition were recovered from the site.

In this encounter (Late) Shri Shamsher Singh, Assistant Commandant displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 2nd May 2000.

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President

No. 41-Pres./2001.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers CRPF Police : --

Name & Rank of the officers

Shri Sriniwas Singh,
Constable(GD), E/67Bn.CRPF.

Shri Ghanshyam Patel,
Constable (GD) E/67 Bn. CRPF.

Statement of service for which the decoration has been awarded :

On 2-6-1999, after receipt of SOS call from State Police for protection of Bhagwan Ganj Police Station which had come under heavy firing of extremists, a Platoon of CRPF with State Police left for the spot. After covering 7 Kms, the police vehicle on the bridge was blown off and it turtled on the ground to the left side. The police personnel of this vehicle were thrown out in the field. Thereupon, the militants tried to snatch the weapons and to kill the police personnel. S/Shri Sriniwas Singh and Ghanshyam Patel, Constables, though badly injured, challenged the militants by firing and compelled them to flee. They strengthened their position with the search of Arms/ammunition from the dead/injured police personnel and kept on firing till the additional Forces reached the spot. Their effective firing kept the militants away from the scene. Thus Shri Singh and Patel safeguarded their own lives and of the injured fellow personnel besides their weapons.

In this encounter Shri Sriniwas Singh, Constable & Shri Ghanshyam Patel, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 2nd June, 1999.

BARUN MITRA,
Dy. Secy. to the President.

No. 42-Pres/2001.— The President is pleased to award the President's Police Medal/Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of CRPF Police :—

Name & Rank of the officers

(Late) Shri S. A. Karim,—(PPMG)
Constable, CRPF.

Shri Jai Narayan Pandey,—(PMG)
Constable, CRPF.

Statement of service for which the decoration has been awarded :

On an information about the presence of PWG militants in village Kachnama, two platoons of CRPF alongwith civil police were deployed in the area on 3-3-2000 for special operation. After cordoning the village, the police party started searching the militants. While they were doing so, they came under heavy firing and were pinned down. On being informed of it, Shri B. R. Singh, Commdt. alongwith others rushed to the spot. On reaching there, he planned an operation and divided the Force into two groups—one headed by himself and the other by Shri P. C. Banga, Dy. Comdt. Shri Singh and his party managed to reach near the pin down section. Shri P. K. Jena, Constable of this party fired one rifle grenade. Thereupon the militants got panicky and came out in the open and fired on the police party in a bid to escape. They were chased by Shri Mohd. Naseem, Daya Ram, Constables and Shri B. K. Singh, LNK. These police personnel managed to kill four militants and recovered large quantity of arms/amns from them. Shri B. R. Singh fired one rifle grenade on another house. Thereafter, he and his party closed up on the militants. Shri Singh alongwith S/Shri S. A. Karim, Jai Narayan Pandey and Naresh Kumar, Constables broke open the door of the house where the militants were sheltering. Thereafter they came face to face with militants and a close fight including hand to hand combat ensued. In the close firing two militants were killed while Shri Karim got fatally injured and died on the spot. S/Shri Jai Narayan Pandey and Naresh Kumar sustained bullet injuries. Tte other police party under the command of Shri P. C. Banga, DC gave tough resistance to the militant's firing on the northern side of the village. Shri Banga and his party while moving towards a house noticed a militant aiming at Shri K. Pratap, Constable, he was immediately fired upon by S/Shri Banga, Abdul Rashid and Arvind Singh. The militants got seriously injured and succumbed to his

injuries on the spot. As the party proceeded further they saw a militant hiding in a khakhi uniform in another house, he was fired upon by S/Shri Banga, Abdul Rashid and Arvind Singh Constables. This police party also killed another fleeing militant. In the above encounter, a total number of 11 militants were killed by both the police parties consisting of 131 CRPF personnel. The following Arms/Amns was recovered :—

(i)	9MM Carbine	— 1
(ii)	US Carbine	— 1
(iii)	7.62 SLR Rifle	— 1
(iv)	AK-47 Rifle	— 1
(v)	B/Action Rifle 303	— 4
(vi)	315 Rifle	— 1
(vii)	3006 Bore Rifle	— 1
(viii)	12 Bore DBBL Gun	— 1
(ix)	Hand Grenade	— 3
(x)	Dynamite Set	— 1

In this encounter (Late) Shri S.A. Karim, Constable & Shri Jai Narayan Pandey, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the awards of President's Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 3rd March 2000.

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President

No. 43-Pres/2001.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of CRPF Police : –

Name & Rank of the Officers

Shri S. P. Pokhriyal,
2 I C, CRPF.

Shri Deo Nath Rai,
Constable, 28th Bn. CRPF.

Statement of service for which the decoration has been awarded :

On receipt of information on 19-8-1999 about the presence of militants in Hyderpora, a joint search operation by SOG & CRPF was carried out to neutralise them. The police party cordoned the hide-out where suspected militants were planning a meeting with an intention of large scale sabotage in Srinagar. Militants immediately opened indiscriminate firing on all sides and hurled grenades to break the cordon. The troops retaliated the firing, which resulted in fierce encounter. Later the BSF troops also joined the operation. The militants were asked to surrender but they continued indiscriminate firing. Shri Pokhriyal alongwith Constables Deo Nath Rai and Kasinathan moved towards the main entrance of the hide out avoiding direct hit from militants and positioned under the cover of drainage and started effective firing on the militants. Shri Pokhriyal and Shri Rai diverted the attention of militants by firing at the militants. The militants changed the direction of the firing and one bullet hit Shri Rai and Shri Pokhriyal also received splinter injury. Though injured, both officials fired on the militants, killing one of them on the spot and injuring another. The injured militants succeeded in running away and hid himself in the nearby building, which was surrounded by security personnel. Constable Abdul Aziz fired at the militants killing him on the spot, who was later identified as Dy. Chief of Lasker-E-Toiba outfit. Besides killing two militants, namely Abdul Rahman @ Abdullah & Haji Subhan @ Harsid Sakeen, a number of arms/ammunition were also recovered from the site of operation.

In this encounter S/Shri S.P. Pokhriyal, 2 I C & Deo Nath Rai, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5. with effect from 19th August, 1999.

BARUN MITRA
Dey. Sec. to the Presiden t

No. 44-Pres/2001—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of CRPF Police :—

Name & rank of the Officer

Shri A. Kana Shetty,
Lance Naik, CRPF.

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 5 12-1999 information was received about the presence of some suspected ULFA militants in

a sugarcane field near Village Nizopathori, under P.S. Sadar. A party under the command of Shri Charanjit Singh, 2 I/C accompanied by S.P. and 10 other CRPF personnel alongwith police personnel from P.S. Sadar moved to the identified location for special operation. While the search operation was being carried out, police personnel were fired upon by the militants. The CRPF party immediately took position and fired back at the militants. During this encounter L/NK A. Kana Shetty noticed one militant trying to flee. He moved towards escaping militant. Due to volley of fire from the militants, he sustained a bullet injury on right side of his abdomen. Despite his injury, retaliated and fired effectively at the fleeing militant killing him on the spot. Later on, the killed militant was identified as Manna Bora (a hard core ULFA). One 9 mm Browning pistol, 8 Nos of 9 mm live rounds and 2 Nos of 9mm empty cases were recovered from the killed militant.

In this encounter Shri A. Kana Shetty, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 5th December, 1999.

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi, the 13th February 2001

RESOLUTION

No. 14034/4/99-OL(Tig.)– The orders of the President on the recommendations made by the Committee of Parliament on Official Language in the third part of its Report, were conveyed vide this Department's Resolution No. 13015/1/91-OL(D), dated 4th November, 1991 in accordance with Section 4 (4) of the Official Languages Act, 1963 (as amended, 1967) In partial modification of the orders laid down in para 5 of the said Resolution, the President vide Resolution of even number dated 16th July, 1999 ordered that the employees of offices located in regions 'A' and 'B' those belonging to region 'C' would be imparted training in Hindi by the end of the year 2000 and 2003 respectively.

The President, in further partial modification of the said Resolution, has now ordered that the employees of the offices located in all the regions viz. 'A', 'B' and 'C' would be imparted training in Hindi by the end of the year 2005.

ORDER

A copy of this Resolution be sent to all the Ministries and Departments of the Government of India, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

This Resolution should also be published in the Gazette of India for general information.

M.L. GUPTA
Joint Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

(NATIONAL RIVER CONSERVATION DIRECTORATES)

New Delhi, the 19th February 2001

RESOLUTION

No. G-13014/1/99-NRCP.Pt.—In Para 5 item (vii) of the Resolution No. A.33011/1/94-NRCD, dated 5th September, 1995 of the Ministry of Environment and Forests, National River Conservation Directorate published in the Gazette of India Part I Section 1, dated the September 30th, 1995, the names of the following Members of Parliament shall be substituted for the existing names as shown against(a) to (i) on the membership of the National River Conservation Authority under the chairmanship of the Prime Minister as published in the Gazette vide this Ministry Resolution No. A-33011/1/94-NRCD, dated 13-7-98.

1. Gujarat	Shri Ramsinh Rathwa	Lok Sabha
2. Karnataka	Shri Vijay Sankeshwar	Lok Sabha
3. Madhya Pradesh	Shri Shivraj Singh Chauhan	Lok Sabha
4. Haryana	Shri Surender Singh Barwala	Lok Sabha
5. Punjab	Smt. Santosh Chowdhary	Lok Sabha
6. Rajasthan	Shri Jaswant Singh Bishnoi	Lok Sabha
7. Tamil Nadu	Dr. C. Krishnam	Lok Sabha
8. Delhi	Shri Lal Behari Tiwari	Lok Sabha
9. West Bengal	Dr. Ranjit Kumar Panja	Lok Sabha

10. Andhra Pradesh	Dr. Alladi P. Rajkumar	Rajya Sabha
11. Bihar	Prof. Ram Deo Bhandary	Rajya Sabha
12. Orissa	Shri Ranganath Misra	Rajya Sabha
13. Uttar Pradesh	Prof. Ram Gopal Yadav	Rajya Sabha

(Shri Suryabhan Patil Vahadane, MP(RS) from Maharashtra will continue on the Authority till his term in Rajya Sabha upto 2-4-2002 or tenure of the authority whichever is earlier).

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R.P. SHARMA
Adviser

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 13th February 2001

RESOLUTION

No. E. 11011/3/98-HINDI—In partial modification of Resolution of even number dated 18th July, 2000 of this Ministry, Government of India nominates the following name of the member of Nagar Vimanan Hindi Salahkar Samiti in place of Shri Prem Kumar Mani, 2, Surya Vihar, Ashiana Nagar, Patna-800025 as mentioned in Sl. No. 30 of the said Resolution ;

Sl. No. 30 Dr. Kumud Sharma
F9/G, DDA Flats,
Mumrka, New Delhi.

The terms and conditions shall be remained same as mentioned in the Resolution of even number dated 18th July, 2000.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all Members of the Samiti, all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, President's Secretariat, Committee of Parliament on Official Language, Comptroller and Auditor General, Accountant General, Central Revenues, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat and all the Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SANAT KAUL
Jt. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियन्त्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित—2001
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad & Published by the Controller of Publications, Delhi-2001